खस्गी (देवी अहिल्याबाई होल्कर श्रेणियाँ)

ट्रस्ट, इंदौर और एएनआर।

वी.

वी. आई. पी. एन. धनितकर और ओ. आर. एस.

(2022 की सिविल अपील संख्या 4839)

21 जुलाई, 2022

[ए. एम. खानविलकर, अभय एस. ओका और

सी. टी. रविकुमार, जे.]

न्यास और दानः

मध्य प्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951: एसएस। 2 (4) , 4 (1) , 14 , 36 (1) – सार्वजनिक न्यासों का पंजीकरण-न्यास संपत्ति का अलगाव

-पंजीयक की पूर्व मंजूरी-संबंधित तथ्यों और मामलों पर

न्यासियों द्वारा अपीलार्थी न्यास-खासगी न्यास का अवैध अलगाव अपीलार्थी न्यास का न्यास विलेख 1962 में निष्पादित किया गया और इसका पता लगाया गया है -

होल्कर शासकों-कम से कम छह संपत्तियों के संबंध में न्यासियों द्वारा अलगाव किए गए थे-कलेक्टर ने माना कि उल्लिखित संपत्तियां

न्यास विलेख में राज्य सरकार की संपत्तियाँ थीं; कि

न्यासियों ने पूर्व अनुमति के बिना अवैध अलगाव किए सरकार, इस प्रकार अलगाव को अमान्य माना गया-कलेक्टर

निर्देश दिया कि राज्य सरकार का नाम दर्ज किया जाए

आगे अलगाव को रोकने के लिए राजस्व रिकॉर्ड-उक्त आदेश अपीलार्थी न्यास और उसके न्यासी द्वारा चुनौती दी गई-एकल न्यायाधीश

उच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्देश जारी करके याचिका का निपटारा किया

खासी ट्रस्ट के प्रशासन के लिए-अपीलार्थी द्वारा दायर एक और रिट याचिका-खासी ट्रस्ट का अधिकारियों को निर्देश देकर निपटारा किया गया

राजस्व रिकॉर्ड को सही करने के लिए-डिवीजन बेंच के समक्ष अपील, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपीलार्थी-खासगी न्यास शासित था

सार्वजनिक न्यास अधिनियम द्वारा; कि न्यासियों को खासगी की संपत्तियों को अलग करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि यह राज्य में निहित था

सरकार; और यह कि एकल न्यायाधीश ने वस्तुतः फिर से लिखा था

न्यास विलेख और इसलिए, निर्णय को कायम नहीं रखा जा सका - अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः खासगी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट,

इंदौर, 1951 के अधिनियम-खसगी ट्रस्ट के प्रावधानों द्वारा शासित एक सार्वजनिक ट्रस्ट है, जो सार्वजनिक, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक एक्सप्रेस ट्रस्ट है-न्यासियों का कर्तव्य है कि वे लोगों के हितों की रक्षा करें।

सार्वजनिक न्यास के लाभार्थी-इस प्रकार न्यासियों को प्राप्त करने का निर्देश दिया गया सार्वजनिक न्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत खसगी न्यास

भाग 'बी' में वर्णित आवश्यक अनुप्रयोग गुण

न्यास विलेख की अनुसूची, उक्त सार्वजनिक न्यास की संपत्तियाँ हैं, उक्त संपत्तियों का अलगाव केवल एस का सहारा लेकर किया जा सकता है। 14 – पूरक न्यास विलेख भी वैध है-उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की आर्थिक अपराध शाखा को जांच करने का निर्देश जारी करना आवश्यक नहीं था-खसगी न्यास पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले पंजीयक को न्यास का अभिलेख मंगाने के लिए।

न्यासियों द्वारा किए गए सभी अलगावों के संबंध में और यह निर्धारित करने के लिए जांच करने के बाद कि क्या अलगाव से सार्वजनिक न्यास को कोई नुकसान हुआ था-उक्त निर्देशों के अधीन, खंड पीठ के साथ-साथ एकल न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार कर दिया गया।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 भाग 'ख' में वर्णित गुण

न्यास विलेख की अनुसूची जो राज्य में निहित थी सरकार को स्वायत्त खसगी ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिया गया था

इसके निगमन पर। वास्तव में 2012 तक राज्य सरकार ने कभी ऐसा नहीं किया था।

विवादित है कि खासगी की संपत्तियाँ भाग 'बी' में सूचीबद्ध हैं न्यास विलेख की अनुसूची न्यास की संपत्तियाँ थीं

16 जुलाई 1962 के बाद भी यह सरकारी संपत्ति बनी हुई है। उक्त संपत्तियां खासगी ट्रस्ट में निहित हैं। [पैरा 33] [205-ई-एफ] 1.2 उच्च न्यायालय गलत आधार पर आगे बढ़ा कि चूंकि धारा 36 की उप-धारा (2) के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, इसलिए धारा 36 की उप-धारा (1) का खंड (ए) लागू नहीं होगा। उप-धारा 36 की धारा (1) और (2) विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती हैं। जब उप-धारा (1) किसी सार्वजनिक न्यास पर लागू होती है, तो कोई भी नहीं

लोक न्यास अधिनियम के प्रावधानों में से

भरोसा रखिए। उप-धारा (2) राज्य की एक स्वतंत्र शक्ति है।

सरकार कुछ जनता को छूट देते हुए अधिसूचना जारी करेगी

सार्वजनिक न्यास अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान से न्यास।

[पैरा 39] [208-ई-जी]

1.3 पूरक न्यास विलेख जो न्यासियों को न्यास संपत्ति को अलग करने में सक्षम बनाता है, अवैध नहीं हो सकता है।

हालाँकि, खस्गी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज़) ट्रस्ट, इंदौर बनाम। वी. आई. पी. आई. एन. धनितकर

1.4 धारा 14 सार्वजनिक न्यास की अचल संपत्ति पर लागू होती है। धारा 13 सार्वजनिक न्यास धन के निवेश को नियंत्रित करती है। दान और धार्मिक दान पर राज्य का नियंत्रण किसी न किसी रूप में यह हमारे न्यायशास्त्र के लिए विदेशी नहीं है। एक सार्वजनिक न्यास हमेशा दान द्वारा व्यक्तियों द्वारा किए गए दान पर निर्भर करता है।

लोक न्यास के उद्देश्यों पर प्रभाव। न्यास की संपत्ति को तब तक अलग नहीं किया जा सकता जब तक कि वह न्यास और/या उसके लाभार्थियों के लाभ के लिए न हो। न्यासियों से न्यास की संपत्ति के साथ सौदा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, जैसे कि यह उनकी निजी संपत्ति हो। न्यास का प्रशासन करना और न्यास के उद्देश्यों को प्रभावी बनाना न्यासियों का कानूनी दायित्व है। इसलिए, विभिन्न राज्यों में काम कर रहे सार्वजनिक न्यासों से संबंधित कानून, सार्वजनिक न्यास की गतिविधियों पर सीमित नियंत्रण प्रदान करते हैं। नियंत्रण का प्रयोग न्यासियों द्वारा वार्षिक खातों को जमा करने और संबंधित दान संगठन या कानून के तहत अन्य प्राधिकरण के साथ विवरणी दाखिल करने के लिए किया जाता है। सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास की संपत्ति को अलग करने की न्यासियों की शक्ति पर वैधानिक बाधाएं हैं। न्यास की संपत्ति के दुरुपयोग के लिए न्यासियों को दंडित करने के लिए ऐसे कानूनों में प्रावधान हैं। ऐसे कई क़ानून क़ानूनों के तहत अधिकारियों को दुर्व्यवहार या गबन के कृत्यों आदि के कारण सार्वजनिक न्यास के न्यासी को हटाने का अधिकार देते हैं। न्यासी न्यास की संपत्तियों के संरक्षक होते हैं। द. न्यासियों का कर्तव्य है कि वे सार्वजनिक न्यास के लाभार्थियों के हितों की रक्षा करें। इस प्रकार सार्वजनिक न्यास अधिनियम की धारा 14 की तरह सार्वजनिक न्यास कानून में एक प्रावधान महत्वपूर्ण है। यह

प्रावधान [2022] 17 एस. सी. आर. के हाथों में न्यास की संपत्ति की रक्षा करना चाहता है।

अनुचित अलगाव से न्यासी। वर्तमान मामले में, दीवानी अपील में अपीलार्थी के पक्ष में बिक्री का लेनदेन

2021 की विशेष अनुमति याचिका 19063 से उत्पन्न, के तहत पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना स्वीकार किया गया है

धारा 14. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस सवाल पर गौर किया है कि क्या अलगाव अमान्य थे। हालाँकि, खरीदार उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे। इसलिए, आवश्यक पक्षों की अनुपस्थिति में खासगी न्यास के न्यासियों द्वारा किए गए अलगाव को रद्द करने के मुद्दे पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता था। [पैरा

45] [212 - डी-एच; 212-ए-सी] 1.5 वर्तमान मामले में, खासगी न्यास के न्यासियों द्वारा किए गए सभी अलगाव, इसके पक्ष में किए गए अलगाव को छोड़कर

2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) No.19063 से उत्पन्न सिविल अपील में अपीलार्थी को धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा आवश्यक पूर्व मंजूरी प्राप्त करने की अनिवार्य आवश्यकता का पालन किए बिना किया गया है। [पैरा 48] [217-ए-बी]

1.6 डिवीजन बेंच का विवादित फैसला आता है

तीन कार्यवाही में से। तीन में से दो न्यासियों द्वारा दायर रिट याचिकाएं हैं। पहला कलेक्टर के विवादित आदेश को चुनौती देने के लिए दायर किया गया था और दूसरा ट्रस्ट की संपत्तियों के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में न्यासियों के नाम दर्ज करने के संबंध में निर्देश देने के लिए दायर किया गया था। तीसरी कार्यवाही जनहित याचिका है, जिसमें सीबीआई के माध्यम से जांच का निर्देश देने के लिए अनिवार्य रिट जारी करने का अनुरोध किया गया है। इसलिए, डिवीजन बेंच के लिए यह घोषित करने का कोई अवसर नहीं था कि बिक्री लेनदेन अमान्य हैं, विशेष रूप से जब खरीदार उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं थे। फिर भी, पंजीयक के लिए धारा 22 के तहत शक्तियों का प्रयोग करना आवश्यक है।

और न्यासियों द्वारा किए गए अलगाव से संबंधित आवश्यक अभिलेखों की मांग करें। इसके बाद, पंजीयक धारा 23 के तहत शक्तियों का प्रयोग करेगा और यह तय करेगा कि क्या अलगाव के परिणामस्वरूप सार्वजनिक न्यास को कोई नुकसान हुआ था और यदि कोई नुकसान हुआ था, तो वह धारा 23 की उप-धारा (2) के अनुसार राशि की मात्रा निर्धारित करेगा। यदि आवश्यक हो तो वह धारा 26 की उप-धारा (1) या (2) को लागू करने पर भी विचार कर सकता है।

[पैरा 49] [217-सी-एफ] द खासी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट, इंदौर बनाम। वी. आई. पी. आई. एन. धनितकर

1.7 कलेक्टर का आदेश जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित किया गया था, बिना मौका दिए पारित कर दिया गया था

आदेश को अलग रखा जाना चाहिए। वास्तव में, कलेक्टर के पास स्वामित्व के मुद्दों के साथ-साथ निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। सार्वजनिक न्यास के मामलों का कुप्रबंधन। उसी के लिए

कारण यह है कि आयुक्त की रिपोर्ट और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की रिपोर्ट भी बिना किसी कारण के है। अधिकार क्षेत्र। रिपोर्ट के उल्लंघन में बनाया गया है

न्यासियों को सुनने का अवसर दिए बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। [पैरा 50] [217-जी-एच; 218-ए-बी]

1.8 . राज्य सरकार की आर्थिक अपराध शाखा के माध्यम से जांच का निर्देश देने का कोई वारंट नहीं था क्योंकि ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि न्यासियों की ओर से पुरुष अधिकार था। उच्च न्यायालय द्वारा इस सामग्री के आधार पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है कि न्यासियों द्वारा किए गए अलगाव के परिणामस्वरूप न्यास को नुकसान हुआ है और पूरे बिक्री विचार को व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोड़ दिया गया है। से प्राप्त संपूर्ण विचार

सार्वजनिक न्यास अधिनियम और उन्हें एक तार्किक निष्कर्ष पर ले जाना। [पैरा 51] [218-सी-एफ] 1.9 कलेक्टर के विवादित आदेश का उद्देश्य ट्रस्ट की संपत्तियों के स्वामित्व के मुद्दे पर निर्णय लेना है कि [2022] 17 एस. सी. आर.

न्यास विलेख की अनुसूची के भाग 'बी' में स्थित संपत्तियां राज्य सरकार में निहित हैं। यह मानते हुए भी कि वहाँ नहीं था

एक व्यक्तिगत न्यासी ऐसे आदेशों पर सवाल उठाने के लिए कार्यवाही करने का हकदार था, जो न्यास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं और/या इसके लाभार्थी। इसके विपरीत, यह प्रत्येक न्यासी का कर्तव्य है कि वह किसी आदेश को चुनौती देने की ऐसी कार्रवाई करे जिसमें कहा गया हो कि -

न्यास द्वारा धारण की गई संपत्तियाँ न्यास की संपत्तियाँ नहीं हैं। इसके अलावा, कोई भी न्यासी उस न्यासी के अधिकार को चुनौती देने के लिए आगे नहीं आया है जिसने रिट याचिकाएं दायर की थीं और आगे की कार्यवाही की थी। न्यासियों द्वारा न्यास की संपत्ति के गबन की जांच करने के लिए आर्थिक अपराध शाखा को भी निर्देश जारी किया गया था। प्रत्येक न्यासी उक्त निर्देश से प्रभावित था। इसलिए, मामले के तथ्यों में, न्यासियों में से किसी एक द्वारा दायर याचिका की स्थिरता पर उठाई गई आपत्ति को कायम नहीं रखा जा सकता है। [पैरा 49] [217-सी-एफ]

1.10 डिवीजन बेंच के विवादित फैसले को पूरी तरह से कायम नहीं रखा जा सकता है। हालांकि, डिवीजन द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

इसकी धारा 14 का पालन किए बिना पुष्टि की जाती है। यहां तक कि एकल न्यायाधीश के आदेश को भी कायम नहीं रखा जा सकता है क्योंकि उन्होंने वस्तुतः न्यास विलेख के पुनर्लेखन का निर्देश दिया है। 2020 की विशेष अनुमति याचिका (सी) Nos.12241-42 से उत्पन्न सिविल अपीलों में दायर 2020 के I.A.No.124266 में आवेदक के स्थान के बारे में बार में प्रस्तुतियाँ हैं। यह आवश्यक नहीं है कि न्यायालय अंततः उक्त प्रश्न पर विचार करेगा। इस प्रकार, उक्त प्रश्न को उचित कार्यवाही में निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ दिया गया है। जहाँ तक 2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) No.19063 से उत्पन्न दीवानी अपील का संबंध है, न्यासियों द्वारा 16 अक्टूबर 1997 के आदेश द्वारा पंजीयक की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के बाद अपीलार्थी के पक्ष में अलगाव किया गया था। इसलिए, पंजीयक को इस सवाल तक सीमित जांच करनी होगी कि क्या न्यासियों द्वारा उक्त आदेश के तहत शामिल शर्तों का पालन किया गया है। यदि अनुपालन नहीं होता है, तो पंजीयक को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए लोक न्यास अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना होगा।

[पैरा 53 55] [219-डी-जी] द खास्गी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट, इंदौर बनाम। वी. आई. पी. आई. एन. धनितकर

1.11 खासगी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट,

इंदौर, मध्य प्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 के प्रावधानों द्वारा शासित एक सार्वजनिक न्यास है। न्यासियों को निर्देश दिया जाता है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक आवेदन करके सार्वजनिक न्यास अधिनियम के तहत खसगी न्यास को पंजीकृत कराएं। न्यास विलेख की अनुसूची के भाग 'ख' में वर्णित संपत्तियां उक्त सार्वजनिक न्यास की संपत्तियां हैं। हालाँकि, उक्त संपत्तियों का हस्तांतरण केवल सार्वजनिक न्यास अधिनियम की धारा 14 का सहारा लेकर किया जा सकता है; 08 मार्च 1972 का पूरक न्यास विलेख वैध है।

लेकिन, खसगी न्यास के न्यासी लोक न्यास अधिनियम की धारा 14 का पालन करने के बाद ही न्यास संपत्ति को अलग करने के हकदार होंगे। उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की आर्थिक अपराध शाखा को जांच करने के लिए जारी किया गया निर्देश आवश्यक नहीं था। खस्गी न्यास पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले लोक न्यास अधिनियम के तहत पंजीयक को न्यासियों द्वारा किए गए सभी अलगावों से संबंधित न्यास का रिकॉर्ड मंगाने का निर्देश दिया जाता है। धारा 23 द्वारा विचार किए गए अनुसार जाँच करने के बाद, पंजीयक सभी संबंधित लोगों को सुनने का अवसर देने के बाद यह निर्धारित करेगा कि क्या अलगाव के आधार पर

न्यासियों द्वारा किया गया कोई भी नुकसान सार्वजनिक न्यास को हुआ था। यदि उनके अनुसार पब्लिक ट्रस्ट को ऐसा कोई नुकसान हुआ था, तो उन्होंने

संबंधित न्यासियों द्वारा खसगी न्यास को दी जाने वाली देय राशि का निर्धारण और परिमाण निर्धारित करेगा। जाँच करने के बाद, यदि आवश्यक पाया जाता है, तो वह धारा 26 की उप-धारा (2) के तहत न्यायालय में आवेदन करने की शक्ति का उपयोग कर सकता है। उक्त निर्देशों के अधीन रहते हुए, खंड पीठ के विवादित फैसले के साथ-साथ एकल न्यायाधीश के विवादित फैसले और आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है। [पैरा 56] [220-ए-जी; 221-सी]

पारसी पारसी अंजुमन, महू बनाम। उपमंडलीय

अधिकारी/लोक न्यास पंजीयक और ए. एन. आर. 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 104; अखिल भारतीय उपभोक्ता

कांग्रेस वी. मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। (2011)

मामला कानून संदर्भ

[2011] 5 एससीआर 77

संदर्भित किया गया है

[2022] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.4839

2022 तक। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित 05.10.2020 के निर्णय और आदेश से, 2020 की रिट याचिका No.11234 में इंदौर की पीठ।

के साथ

2022 की सिविल अपील Nos.4840-4841,4842-4844 और 4845।

बलबीर सिंह, विक्रमजीत बनर्जी, एएसजी, सौरभ मिश्रा, एएजी, डॉ. ए. एम. सिंघवी, श्याम दीवान, अमित देसाई, पी. एस. पटवालिया, हुज़ेफा

अहमदी, सिद्धार्थ भटनागर, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री नंदिनी गोरे, सुश्री रूबी सिंह आहूजा, अमन अहलूवालिया, सुश्री ताहिरा करंजावाला, अभिनव मल्होत्रा, सिद्धांत कुमार, सुश्री कृतिका सचदेवा, सुश्री गरिमा सिंह, अक्षय अग्रवाल, अमित भंडारी, मेसर्स करंजावाला एंड कंपनी, आयुष अग्रवाल, अनुज पी. अग्रवाल, मेसर्स पी. बी. ए. लीगल, सुश्री कुर्रतुलैन, ब्रज किशोर साह, श्रीमती मृणाल गोपाल एल्कर, कन्नू अग्रवाल, मनीष यादव, सुश्री प्रतिभा यादव, प्रफुल्ल सिंह चंदेल, हरीश पांडे, पी. वी.

योगेश्वरन, सौरभ मिश्रा, चंद्र प्रकाश, अरविंद कुमार शर्मा, नाहिद कैरिमजी, सोहन किन्खाबवाला, ऋषि माहेश्वरी, सुश्री ऐनी मैथ्यू, भारत सूद, सुश्री श्रुति जोस, पी. एस. सुधीर, उत्सव त्रिवेदी, अभिनय, सुश्री मणिनी रॉय, हिमांशु सचदेवा, सुश्री शिवानी भूषण, सुश्री उन्नति विजय, पूरन चंद रॉय, उमंग शंकर, मयंक

क्षीरसागर, सुश्री अनु गुप्ता, प्रशांत भूषण, सुश्री नेहा राठी, एलिस राज, राहुल गुप्ता, अर्जुन गर्ग, रोनक करणपुरिया, पुलकित तारे, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय एस. ओकेए, जे.

1. विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति दी जाती है। छोड़ दें।

दिया गया।

फैक्ट मैट्रिक्स

2. ये अपीलें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ, इंदौर की पीठ के 5 अक्टूबर 2020 के सामान्य निर्णय और आदेश पर आपत्ति उठाती हैं। उक्त निर्णय द्वारा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2020 की विशेष अनुमति याचिका (सी) 12133 से उत्पन्न सिविल अपीलों में अपीलार्थियों द्वारा दायर दो रिट अपीलों का फैसला किया और 2020 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 12241-42। खासगी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट, इंदौर (संक्षेप में, 'खासगी ट्रस्ट')

खस्गी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट, इंदौर बनाम। वी. आई. पी. आई. एन. धनितकर [अभय एस. ओका, जे.]

और इसके न्यासी श्री एस. सी. मल्होत्रा उक्त अपीलार्थी हैं। दोनों ने लिखा

3. विवाद उन संपत्तियों के इर्द-गिर्द घूमता है जिन पर खासगी ट्रस्ट द्वारा ट्रस्ट प्रॉपर्टी के रूप में दावा किया गया है। 30 अक्टूबर 1948 को, "द कॉवेनेंट" नामक एक उपकरण को पूर्ववर्ती शासकों द्वारा निष्पादित किया गया था। संयुक्त राज्य ग्वालियर, इंदौर और मालवा (मध्य भारत) के गठन के लिए मध्य भारत में ग्वालियर, इंदौर और कुछ अन्य राज्य। स्वर्गीय यशवंतराव होल्कर, इंदौर के महाराजा (संक्षेप में)

महाराजा ") उक्त वाचा का एक पक्ष था जो एकजुट होने के लिए सहमत हुआ और

इंदौर के क्षेत्र को संयुक्त राज्य ग्वालियर, इंदौर और मालवा (मध्य भारत) के नाम से एक साझा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ एक राज्य में एकीकृत करना। अनुच्छेद 12 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक करार करने वाले राज्य का शासक अपने संबंधित राज्यों के प्रशासन को राज प्रमुख (संयुक्त राज्य ग्वालियर, इंदौर और मालवा के प्रमुख) को सौंपने की तारीख को अपनी सभी निजी संपत्तियों (राज्य की संपत्तियों से अलग) के पूर्ण स्वामित्व, उपयोग और आनंद का हकदार होगा। अनुच्छेद 12 में यह भी प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक करार करने वाले राज्य का शासक अगस्त 1948 के पहले दिन से पहले राज प्रमुख को अपनी सभी अचल संपत्तियों, प्रतिभूतियों और नकद शेष राशि की एक सूची प्रस्तुत करेगा। कन्वेंशन में आगे यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि संपत्ति की कोई वस्तु शासक की निजी संपत्ति है या राज्य की संपत्ति है, तो यह होगा - ऐसे व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जाता है जिसे भारत सरकार राज प्रमुख के परामर्श से नामित कर सकती है। यह भी प्रावधान किया गया है कि उस व्यक्ति का निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराजा यशवंतराव होल्कर ने संदर्भ में दो सूची प्रस्तुत की।

अनुच्छेद XII का। पहली सूची उनके कथित निजी से संबंधित थी।

संपत्तियाँ। महाराजा द्वारा प्रस्तुत दूसरी सूची खसगी संपत्तियों के रूप में जानी जाने वाली संपत्तियों की थी। अनुच्छेद 12 के खंड (3) के संदर्भ में, भारत सरकार ने राज्यों के मंत्रालय के सचिव श्री वी. पी. मेनन को दावों पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया। 7 मई 1949 के पत्र द्वारा, श्री वी. पी. मेनन ने महाराजा को सूचित किया कि उनके द्वारा अपनी निजी संपत्तियों के संबंध में किया गया दावा, जैसा कि [2022] 17 एस. सी. आर. में सूचीबद्ध है।

उक्त पत्र के अनुलग्नक 'ए' को अंततः अनुबंध के अनुच्छेद XII के अनुसरण में अनुमोदित, स्वीकार और हस्ताक्षरित कर दिया गया है। अनुलग्नक 'ए' में शामिल हैं महाराजा की निजी संपत्तियों का विस्तृत विवरण, जिन्हें वाचा के अनुच्छेद XII के अनुसार उनकी निजी संपत्तियों के रूप में स्वीकार किया जाता है। 6 मई 1949 के एक अन्य पत्र द्वारा श्री वी. पी. मेनन

महाराजा को सूचित किया गया कि खसगी संपत्तियों के रूप में वर्णित संपत्तियों के संबंध में उनके दावे को अंततः उक्त पत्र के घेरे के आधार पर निपटाया गया है। पत्र के आवरण में, यह उल्लेख किया गया था कि खसगी की संपत्तियाँ और खसगी से प्राप्त आय

मध्य भारत सरकार के लिए संपत्तियों को हर समय के लिए व्यपगत माना जाएगा। इसके बदले में कुछ गारंटी दी गई थी। द.

संलग्नक में प्रावधान किया गया है कि मध्य भारत सरकार दान के लिए हमेशा के लिए रु. 2,91,952/- (दो लाख नब्बे-एक हजार नौ सौ पचास-दो रुपये) की राशि अलग रखेगी। यह राशि महारानी अहिल्या बाई होल्कर की धर्मार्थ संस्थाओं सहित उक्त धर्मार्थ संस्थाओं के लिए एक स्थायी न्यास के तहत रखी जाएगी। इसमें प्रावधान किया गया कि न्यास में पूर्ववर्ती इंदौर राज्य का शासक शामिल होगा, जो अध्यक्ष होगा। शासक के दो उम्मीदवार होंगे। एक नामित व्यक्ति केंद्र सरकार का होगा और दो नामित व्यक्ति मध्य भारत सरकार के होंगे। हालांकि, यह कहा गया था कि भारत सरकार और मध्य भारत राज्य द्वारा नामित न्यासियों की नियुक्ति शासक के परामर्श से की जाएगी। इसमें प्रावधान किया गया है कि न्यास की शक्तियां और कार्य ऐसे कानून के अधीन होंगे जो केंद्र सरकार या मध्य भारत सरकार ऐसे न्यासों को विनियमित करने के लिए आम तौर पर अधिनियमित कर सकती है। तथापि, न्यास की संरचना और उसके गठन का तरीका ऐसे विधान द्वारा किसी भी संशोधन या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

4. यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 (संक्षेप में, 'सार्वजनिक न्यास अधिनियम') लागू किया। 26 मई 1959 को गृह मंत्रालय ने

भारत सरकार ने महाराजा को एक पत्र लिखा, जिसमें खासगी संपत्ति के निपटारे का उल्लेख है। उक्त पत्र के माध्यम से, केंद्र सरकार ने एक श्री एस. वी. कानूनगो को नामित किया। पत्र में लिखा है कि श्री कानूनगो पहले से ही केंद्र सरकार द्वारा होल्कर परिवार के दो अन्य पारिवारिक न्यासों के लिए नामित न्यासी थे। इससे पहले, 6 जनवरी 1959 को, एक पत्र को संबोधित करते हुए, राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने महाराजा को निजी सचिव को सूचित किया कि राज्य सरकार आयुक्त, इंदौर डिवीजन और अधीक्षक खस्गी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट, इंदौर बनाम को नामित करने का प्रस्ताव कर रही है।

वी. आई. पी. आई. एन. धनितकर [अभय एस. ओका, जे.]

इंजीनियर (बी एंड आर), लोक निर्माण विभाग, इंदौर सर्कल न्यासियों के रूप में। राज्य सरकार ने महाराजा के सचिव से अनुरोध किया कि वे उक्त नामांकनों के लिए महाराजा की सहमति से अवगत कराएं। 1 अप्रैल 1959 के एक अन्य पत्र द्वारा, सामान्य प्रशासन

मध्य प्रदेश विभाग ने महाराजा के सचिव को सूचित कर उनसे अनुरोध किया कि न्यास पर शासक के प्रतिनिधियों को नामित किया जाए। पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार ने न्यास विलेख का एक मसौदा तैयार किया है जिसे बिना किसी देरी के अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्य सरकार का 14 नवंबर 1959 का पत्र महाराजा के सचिव को संबोधित है जो महाराजा को अपने दो प्रतिनिधियों को नामित करने के लिए याद दिलाता है। उक्त पत्र में यह भी लिखा है कि खासगी न्यास विलेख के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा और महाराजा की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्य सरकार द्वारा 14 अप्रैल 1961 को महाराजा के सचिव को संबोधित पत्र में लिखा है कि खासगी ट्रस्ट के विलेख के मसौदे की जांच की जा रही है और इसे जल्द ही भेजा जाएगा।

5. अंततः, राज्य द्वारा प्रदान किए गए मसौदे के संदर्भ में

सरकार, खासगी ट्रस्ट के न्यास विलेख (संक्षेप में, "न्यास विलेख") को 27 जून 1962 को महाराजा यशवंतराव होल्कर की बेटी और उत्तराधिकारी इंदौर की महारानी उषा देवी द्वारा और उनके बीच निष्पादित किया गया था, जिन्हें उसमें बसने वाले के रूप में वर्णित किया गया था, श्री के. ए. चिताले, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री एस. सी. मल्होत्रा को बसने वाले के रूप में नामित किया गया था और श्री एस. वी. कानूनगो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित। न्यास विलेख पर इंदौर संभाग के आयुक्त द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए थे और

अधीक्षण अभियंता (बी एंड आर), लोक निर्माण विभाग, इंदौर

जिन्हें राज्य सरकार द्वारा न्यासियों के रूप में नामित किया गया था। पाठों में, यह उल्लेख किया गया है कि ट्रस्ट की वार्षिकी का निर्माण किया जा रहा था

महाराणी देवी अहिल्या बाई होल्कर द्वारा स्थापित दानों सहित वर्ष के लिए होल्कर राज्य के बजट में प्रदान किए गए दान और धार्मिक दान के रखरखाव, रखरखाव और संरक्षण के लिए स्थायी रूप से रु. उक्त दान का वर्णन अनुसूची के भाग 'ए' में किया गया था। इसके अलावा, यह प्रावधान किया गया है कि न्यास न्यास संपत्ति के रूप में वर्णित संपत्तियों के प्रबंधन और रखरखाव के लिए होगा, विशेष रूप से अनुसूची के भाग 'बी' में वर्णित

विश्वास का विलेख। अनुसूची के भाग 'बी' में विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में संपत्तियों की सूची है।

6. मध्य प्रदेश राज्य द्वारा 27 जुलाई 1962 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें यह उल्लेख किया गया था कि के गठन पर मध्य भारत राज्य, संस्थान, कारखाने, धार्मिक स्थल, छतरी,

महाजन, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के संसद सदस्य हैं। उसने उक्त पत्र में तर्क दिया कि न्यास विलेख में उल्लिखित संपत्ति पूर्व में निहित थी मध्य भारत राज्य। यह उल्लेख किया गया है कि हरिद्वार में न्यास विलेख में दिखाई गई एक मूल्यवान संपत्ति को न्यासियों द्वारा लोक न्यास अधिनियम के तहत पंजीयक की अनुमति के बिना बेचा गया था। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री से जांच के आदेश देने का अनुरोध किया। 23 मई 2012 के नोटिस के साथ, उक्त शिकायत की एक प्रति सार्वजनिक न्यास पंजीयक, जिला द्वारा खासगी न्यास के न्यासियों को भेजी गई थी।

इंदौर। न्यासियों ने 20 जून 2012 को यह तर्क देते हुए जवाब दिया कि सार्वजनिक न्यास अधिनियम खसगी न्यास पर लागू नहीं था और न्यास के लाभ के लिए ही अलगाव किया गया है। इसके बाद, जिला इंदौर के कलेक्टर ने 5 नवंबर 2012 को एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि न्यास विलेख में उल्लिखित संपत्तियां राज्य सरकार की संपत्तियां हैं। उन्होंने कहा कि न्यासियों ने सरकार से पूर्व अनुमति के बिना अवैध अलगाव किया है। इसलिए, अलगाव को अमान्य माना गया। इसलिए, कलेक्टर ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार का नाम राजस्व अभिलेखों/भूमि अभिलेखों में दर्ज किया जाए ताकि आगे अलगाव को रोका जा सके।

8. खासगी ट्रस्ट और उसके न्यासी श्री एस. सी. मल्होत्रा द्वारा मध्य द खासगी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट, इंदौर बनाम में 2012 की रिट याचिका संख्या 11618 के रूप में एक रिट याचिका दायर की गई थी।

वी. आई. पी. आई. एन. धनितकर [अभय एस. ओका, जे.]

नवंबर 2012 कलेक्टर द्वारा पारित किया गया और कलेक्टर को ट्रस्ट के मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए प्रार्थना की गई। विद्वान एकल न्यायाधीश ने 28 नवंबर 2013 के फैसले और आदेश द्वारा खसगी ट्रस्ट के प्रशासन के लिए विभिन्न निर्देश जारी करके याचिका का निपटारा किया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि न्यासी मंडल का पुनर्गठन श्रीमती को शामिल करके किया जाएगा। सुमित्रा महाजन और दो व्यक्ति न्यासी के रूप में। राज्य सरकार को खासगी को हर साल 1 करोड़ रुपये का भुगतान करने का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया था। भरोसा रखिए। खासी ट्रस्ट द्वारा दायर एक अन्य रिट याचिका (2010 का डब्ल्यू. पी. संख्या 5372) का निपटारा 3 दिसंबर 2013 के आदेश द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अधिकारियों को 28 नवंबर 2013 के उपरोक्त आदेश के संदर्भ में राजस्व रिकॉर्ड को सही करने का निर्देश देते हुए किया गया था। जैसा कि पहले कहा गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश के दोनों आदेशों को राज्य सरकार द्वारा दो रिट अपील दायर करके चुनौती दी गई थी। रिट अपीलों के साथ तय की गई जनहित याचिका में न्यास के मामलों और विशेष रूप से न्यासियों द्वारा किए गए अलगाव के संबंध में सी. बी. आई. के माध्यम से जांच का निर्देश देने का अनुरोध था।

9. प्रभाग द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं

विवादित निर्णय और आदेश में पीठः

अनुसूची के भाग 'बी' में उल्लिखित खसगी संपत्तियाँ

(अ)

न्यास विलेख राज्य सरकार में निहित रहा और इसलिए न्यासियों के पास कोई अधिकार नहीं था

उसी को अलग करने के लिए;

न्यास विलेख का बाद में किया गया संशोधन

(ख)

न्यासी द्वारा न्यास विलेख के भाग "बी" में वर्णित संपत्तियों को अलग करने के लिए उन्हें सशक्त बनाना अवैध था और राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं था;

न्यासियों द्वारा किए गए अलगाव शून्य थे;

((ग)

((घ)

खासगी न्यास सार्वजनिक न्यास अधिनियम द्वारा शासित था;

और

(ई)

रिट याचिकाओं पर निर्णय लेते समय विद्वान एकल न्यायाधीश खासगी न्यास द्वारा दायर न्यास विलेख ने वस्तुतः न्यास विलेख को फिर से लिखा है और इसलिए, उनके निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है।

खंड पीठ ने विवादित फैसले के पैराग्राफ 158 से 166 में निम्नलिखित निर्देश जारी किएः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 158. यह न्यायालय पूरी रिपोर्ट को पुनः प्रस्तुत नहीं कर रहा है क्योंकि अनुबंध, न्यास विलेख और भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पहले ही पहले के पैराग्राफ में पुनः प्रस्तुत की जा चुकी है। इस प्रकार, प्रत्यर्थी का यह कहना गलत है कि यांत्रिक अभ्यास कलेक्टर द्वारा किया गया था संसद सदस्य के पत्र के आधार पर। उचित विवेक के साथ, राज्य सरकार ने कलेक्टर, इंदौर के माध्यम से वाचा, न्यास विलेख और वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में कार्रवाई की है।

159. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, इस न्यायालय के पास न्यास विलेख का मसौदा तैयार करने की शक्ति नहीं है और न ही विचाराधीन न्यास के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। हालाँकि, उन संपत्तियों के रूप में जो मध्य राज्य के स्वामित्व में हैं

प्रदेश को न्यास/न्यासियों द्वारा बेच दिया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए एक समिति गठित की जानी चाहिए कि न्यास की संपत्तियां

मूल न्यास विलेख के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित, रखरखाव और अक्षुण्ण रखा जाता है। आने के लिए।

160. इस प्रकार गठित समिति इस संबंध में जांच करेगी।

इस मामले में न्यास के खातों में धन की कमी है, विशेष रूप से इस तथ्य के आलोक में कि यह मध्य प्रदेश राज्य है, जिसका सभी संपत्तियों पर अधिकार है। 161. उपरोक्त कार्य के लिए निम्नलिखित समिति का गठन किया गया है जिसमें शामिल हैं:

(क) मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश राज्य (अध्यक्ष);

(ख) प्रधान सचिव, वित्त विभाग (सदस्य);

(ग) अतिरिक्त मुख्य सचिव, धर्मस्व विभाग

(घ) आयुक्त, इंदौर प्रभाग, इंदौर (सदस्य); (ङ) कलेक्टर, इंदौर (सचिव)।

आई. ई. खसगी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट, इंदौर बनाम। वी. आई. पी. आई. एन. धनितकर [अभय एस. ओका, जे.]

मध्य प्रदेश राज्य कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा।

162. संबंधित रिट याचिका अर्थात डब्ल्यू. पी. सं. 11234/2020, जो एक जनहित याचिका है, में एक उपयुक्त रिट, आदेश जारी करने या सी. बी. आई. जांच का निर्देश देने के लिए प्रार्थना की गई है। जहाँ तक सी. बी. आई. जांच के निर्देशों के संबंध में अनुरोध का संबंध है, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि ऐसे किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है। सरकारी संपत्तियों के गबन और किसी को लाभ पहुँचाने के लिए इसके निपटारे का आरोप

सार्वजनिक राजकोष को नुकसान, यदि बिल्कुल भी हो, तो मध्य राज्य की आर्थिक जांच शाखा द्वारा बहुत अच्छी तरह से जांच की जा सकती है

प्रदेश और तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि उक्त शाखा मामले की पूरी तरह से जांच करेगी और यदि उसे किसी भी प्राधिकरण की कार्रवाई में कोई आपराधिकता मिलती है, तो यह उम्मीद की जाती है कि उक्त शाखा द्वारा उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। इसलिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए किसी सकारात्मक निर्देश की आवश्यकता नहीं है।

परिणामस्वरूप, आर्थिक अपराध शाखा मामले की जांच करेगी और कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगी।

163. मध्य प्रदेश राज्य को सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें घाट, मंदिर, धर्मशालाएं शामिल हैं, जो ट्रस्ट की संपत्ति में स्थान पाते हैं, क्योंकि वे संबंधित संपत्ति के स्वामित्वधारक हैं। मध्य प्रदेश राज्य उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ भी कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करेगा, जिन्होंने समय-समय पर ट्रस्ट की संपत्ति को कथित रूप से अवैध रूप से बेचा है। 164. डब्ल्यू. पी. नं. 11234/2020 में भारत संघ पहले से ही एक पक्षकार है और निर्णय देने से पहले श्री मिलिंद फड़के को भी इस मामले में सुना गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अनुबंध और समय-समय पर जारी वैधानिक अधिसूचनाओं के कारण विचाराधीन संपत्तियां अनन्य संपत्तियां हैं।

मध्य प्रदेश राज्य से।

165. इस न्यायालय ने 23-4-2014 पर पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है और इसके लिए विद्वान वकील द्वारा सूचित किया गया है

मध्य प्रदेश राज्य कि कुछ निर्माण निजी पक्षों द्वारा किए गए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

166. नतीजतन, मध्य प्रदेश राज्य को निर्देशित किया जाता है

जो खासगी की संपत्तियों पर हुआ है और इसे अपनी मूल स्थिति और पूरे खर्च पर वापस लाएं।

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा वहन किया जाएगा आयुक्त, इंदौर। कलेक्टर, हरिद्वार सहायता करेंगे।

इस मामले में संभागीय आयुक्त, इंदौर और

संभागीय आयुक्त, इंदौर यह सुनिश्चित करेंगे कि कुश

घाट के साथ-साथ अन्य संपत्तियां फिर से हैं, जिनका मतलब है

सार्वजनिक दान के लिए बड़े पैमाने पर जनता के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

उपरोक्त दिशा केवल वर्तमान के संबंध में नहीं है।

संपत्ति लेकिन अन्य संपत्तियों के संबंध में भी। राज्य

मध्य प्रदेश सरकार उचित कदम उठाकर यह सुनिश्चित करेगी कि

ऐसी संपत्तियाँ और वे इसके लिए संपत्तियों का रखरखाव करेंगे आने वाली पीढ़ियों को उनके ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए।

कलेक्टर, इंदौर तदनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

उसके द्वारा पारित आदेश दिनांक 5-11-2012 के अनुसार कानून के साथ

और पंजीयक भी उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

उसके द्वारा पारित आदेश के अनुसार कानून के अनुसार

30-11-2012 . "

(जोर दिया गया)

खास्गी ट्रस्ट के स्वयं पर प्रस्तुतियाँ

10. प्रस्तुतियाँ शुरू में श्री मुकल द्वारा की गई हैं।

रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता और उसके बाद, 2020 की विशेष अनुमति याचिका (सी) No.12133 और 2020 की विशेष अनुमति याचिका (सी) No.12241-42 से उत्पन्न सिविल अपीलों में वरिष्ठ अधिवक्ता

डॉ. ए. एम. सिंघवी द्वारा। अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने आग्रह किया कि तत्कालीन इंदौर राज्य के नवगठित मध्य भारत राज्य के साथ विलय के समय, संपत्तियों की तीन श्रेणियां थीं- (ए) राज्य की संपत्तियां अनुच्छेद VI (1) (सी) और अनुच्छेद XII के अंतर्गत आती हैं। वाचा; (बी) इंदौर के शासक की निजी संपत्तियाँ; और (सी) इंदौर के शासक के परिवार द्वारा धारित दान और न्यास संपत्तियाँ। द.

अपीलार्थियों द्वारा उठाया गया तर्क यह है कि जो दान पहले से ही जनता के लिए समर्पित थे, वे राज्य सरकार को नहीं दिए जा सकते। मुख्य निवेदन यह है कि 5 नवंबर 2012 के कलेक्टर के विवादित आदेश में यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि हुई है कि खसगी द खसगी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट डीड की अनुसूची के भाग 'बी' में वर्णित संपत्तियों पर विश्वास किया गया है।

वी. आई. पी. आई. एन. धनितकर [अभय एस. ओका, जे.]

न्यास, न्यास की संपत्ति नहीं थी, बल्कि राज्य की संपत्ति थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि अनुसूची के भाग 'बी' में उल्लिखित संपत्तियां, खासगी न्यास में निहित संपत्तियां हैं, जैसा कि न्यास विलेख के विभिन्न खंडों से देखा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि 8 मार्च 1972 का न्यास का पूरक विलेख स्पष्ट रूप से ट्रस्ट को एक शक्ति प्रदान करता है।

न्यासी न्यास विलेख की अनुसूची के भाग 'ख' में उल्लिखित न्यास की संपत्तियों को अलग करने के लिए। निवेदन यह है कि पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (ए) को देखते हुए, पब्लिक ट्रस्ट के प्रावधानों के अनुसार, खासगी ट्रस्ट एक राज्य-नियंत्रित ट्रस्ट है।

अधिनियम, इस पर लागू नहीं होते हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील ने लोक न्यास पंजीयक द्वारा उस ओर से पारित एक विशिष्ट आदेश पर भरोसा किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि न्यास विलेख की अनुसूची के भाग 'बी' में 246 संपत्तियां सूचीबद्ध हैं, जिनमें से केवल छह को साठ वर्षों की अवधि के दौरान न्यासियों द्वारा हस्तांतरित किया गया है। वह.

प्रस्तुत किया कि इस तथ्य के अलावा कि सार्वजनिक न्यास अधिनियम की धारा 14 खासगी न्यास पर लागू नहीं होती है, इस न्यायालय द्वारा पारसी पारसी अंजुमन, महू बनाम के मामले में धारा 14 का दायरा निर्धारित किया गया है। उप-मंडल अधिकारी/लोक न्यास पंजीयक और Anr.[1] ने प्रस्तुत किया कि चूंकि लोक न्यास अधिनियम न्यासियों को न्यास की संपत्तियों को अलग करने की अनुमति देता है, इसलिए पंजीयक को अनुदान देने की आवश्यकता होगी।

लोक न्यास अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2) को ध्यान में रखते हुए अलगाव की अनुमति।

11. विद्वान वरिष्ठ वकील आग्रह करेंगे कि न्यास विलेख के निष्पादन की तारीख से पचास वर्षों से अधिक की अवधि के लिए, राज्य

सरकार ने न्यास विलेख की अनुसूची के भाग 'बी' में उल्लिखित संपत्तियों की स्थिति को कभी भी खासगी की संपत्तियों के रूप में विवादित नहीं किया।

भरोसा रखिए। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल के एक वरिष्ठ सांसद द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय में 18 अप्रैल 2012 को की गई शिकायत के आधार पर ही प्रधान सचिव ने 2 नवंबर 2012 को एक जांच रिपोर्ट तैयार की। न्यासियों को ऐसी किसी भी जांच का कोई नोटिस नहीं दिया गया था। उन्होंने बताया कि 2 नवंबर 2012 की उक्त जांच रिपोर्ट इस आधार पर आगे बढ़ती है कि ट्रस्ट की संपत्तियां वास्तव में राज्य सरकार की संपत्तियां हैं। जाँच रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सरकारी संपत्तियों का कब्जा होना चाहिए

राज्य सरकार द्वारा लिया गया। उन्होंने बताया कि इस जांच रिपोर्ट के आधार पर 5 नवंबर 2012 का विवादित आदेश कलेक्टर द्वारा एकतरफा रूप से पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार ट्रस्ट के रूप में वर्णित संपत्तियों की मालिक है।

1 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 104 [2022] 17 एस. सी. आर.

न्यास विलेख में संपत्तियाँ। इस तथ्य के अलावा कि कलेक्टर ने स्वामित्व के विवादित प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, यहां तक कि प्राकृतिक न्याय के प्राथमिक सिद्धांतों का भी पालन नहीं किया गया है। वह.

उन्होंने बताया कि संसद सदस्य द्वारा की गई शिकायत के आधार पर सार्वजनिक न्यास के पंजीयक द्वारा खासगी न्यास को कारणदर्शक नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, न्यासियों ने पंजीयक द्वारा जारी किए गए कथित कारणदर्शक नोटिस का जवाब दिया, लेकिन कलेक्टर द्वारा 5 नवंबर 2012 के विवादित आदेश को पारित करते समय उक्त जवाब पर विचार नहीं किया गया है।

12. डिवीजन बेंच के विवादित फैसले में दर्ज निष्कर्षों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया

अभिलेख पर उस पत्राचार और न्यास विलेख के खंडों में है

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पूरी तरह से अनदेखी की गई। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के पूरक विलेख को 8 मार्च 1972 को सभी न्यासियों द्वारा निष्पादित किया गया था। राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार के मनोनीत व्यक्ति। यद्यपि उक्त पूरक विलेख को विशेष रूप से चुनौती नहीं दी गई थी, डिवीजन बेंच ने इसकी वैधता के मुद्दे पर गौर किया है। हरिद्वार में होल्कर बाड़ा के नाम से जानी जाने वाली संपत्ति की बिक्री के संबंध में, उन्होंने बताया कि बड़ा जिसमें केवल आवासीय परिसर शामिल हैं, को चार अलग-अलग बिक्री विलेखों के तहत बेचा गया है, लेकिन निकटवर्ती कुशा घाट ने

न्यासियों द्वारा नहीं बेचा गया। न्यासियों द्वारा बेची गई बड़ा संपत्ति पर अतिक्रमण किया गया था। न्यासी मंडल का एक प्रस्ताव है जो उक्त संपत्ति की बिक्री को अधिकृत करता है जिसमें सभी न्यासी पक्षकार हैं। उन्होंने बताया कि न्यासियों द्वारा नियुक्त गठित वकील खरीदारों से संबंधित हो सकता है, लेकिन खरीदार किसी भी न्यासी से बिल्कुल भी संबंधित नहीं हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि बिक्री की पूरी आय न्यास के कोष में जमा कर दी गई है। इसके अलावा, वर्ष 2009 में न्यासियों द्वारा निष्पादित बिक्री विलेखों को 2012 तक लाभार्थियों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई थी, जब संसद सदस्य ने उक्त लेनदेन पर आपत्ति जताई थी। यदि प्राधिकरणों के अनुसार, न्यासियों ने सार्वजनिक न्यास अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया था, यह मानते हुए कि वे लागू थे, तो पंजीयक सार्वजनिक न्यास अधिनियम के अध्याय V के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता था। वह.

प्रस्तुत किया कि 5 नवंबर 2012 का विवादित आदेश कलेक्टर द्वारा न्यासियों के पीछे से पारित किया गया था। इसके अलावा, कलेक्टर के पास इस सवाल पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था कि क्या न्यासियों ने कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कलेक्टर का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

किसी भी मामले में, खस्गी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट के क्रम को देखते हुए, इंदौर बनाम. वी. आई. पी. आई. एन. धनितकर [अभय एस. ओका, जे.]

लोक न्यास पंजीयक, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 10 अगस्त 1971, लोक न्यास अधिनियम के प्रावधान खसगी न्यास पर लागू नहीं होते हैं। उन्होंने बताया कि न्यासियों द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसार प्रत्येक अलगाव किया गया है जिसमें शामिल हैं -

सरकार द्वारा नामित।

13. विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि जब न्यासियों ने न्यास विलेख के चार कोनों के साथ-साथ कार्य किया है

पूरक न्यास विलेख, आपराधिक इरादे के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। मेन्स रिया की पूर्ण अनुपस्थिति होती है। उन्होंने कहा कि उद्यान के संबंध में पहला अलगाव करने से पहले न्यासियों ने मंजूरी के लिए राज्य सरकार से संपर्क किया। राज्य के मुख्य सचिव ने 13 जून 1969 को भेजे गए पत्र में स्पष्ट रूप से कहा कि अलगाव के लिए सरकार की मंजूरी नहीं थी। आवश्यकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सरकार के तीन नामित व्यक्ति न्यासी मंडल द्वारा संपत्तियों को अलग करने के लिए लिए गए निर्णय के पक्षकार हैं। उन्होंने आग्रह किया कि न्यासियों ने ईमानदारी से काम किया और इसलिए वर्ष 2020 में उच्च न्यायालय को राज्य सरकार की आर्थिक अपराध शाखा के माध्यम से जांच का आदेश नहीं देना चाहिए था, विशेष रूप से जब होल्कर बड़ा से संबंधित लेनदेन 2009 के थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यहां तक कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी न्यासियों द्वारा दायर रिट याचिका पर निर्णय लेते समय, उनके अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया था और न्यास विलेख में पर्याप्त संशोधन करने का निर्देश दिया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सभी मामलों में, कलेक्टर का विवादित आदेश दिनांकित था

5 नवंबर 2012, रिट याचिका को अनुमति देकर अलग किए जाने के योग्य था।

नागरिक आवेदन में अपील की प्रस्तुतियाँ

खरीदार द्वारा तैयार किया गया

14. होल्कर बाड़ा के खरीदार द्वारा 2020 की विशेष अनुमति याचिका (सी) डायरी No.22151 से उत्पन्न सिविल अपील दायर की गई है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. एस. पटवालिया ने सबसे पहले प्रस्तुत किया कि विवादित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने घोषित किया है कि अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख अमान्य थे, हालांकि, अपीलार्थी खरीदार विद्वान एकल के समक्ष रिट याचिका में पक्षकार नहीं था।

डिवीजन बेंच के समक्ष न्यायाधीश और अपीलों के लिए। इसके अलावा, बिक्री विलेखों के निष्पादन के ग्यारह वर्षों के बाद, उच्च न्यायालय ने इसमें गलती पाई। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी प्रामाणिक खरीदार हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि श्री विजय सिंह पाल ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें बिक्री [2022] 17 एस. सी. आर. की केंद्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से जांच की मांग की गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लेन-देन और उक्त रिट याचिका/जनहित याचिका को 24 मई 2018 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उसमें याचिकाकर्ता ने दीवानी न्यायालयों का दरवाजा खटखटाकर बिक्री विलेखों को चुनौती नहीं दी थी। विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया कि उक्त आदेश की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा की गई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को परेशान किया गया है और

उक्त श्री विजय सिंह पाल द्वारा ब्लैकमेल किया गया। इसलिए, अपीलार्थी/खरीदार द्वारा उसके खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसे सिविल कोर्ट द्वारा घोषित किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विवादित फैसले द्वारा तय की गई जनहित याचिका में, अपीलकर्ता/खरीदार एक पक्ष नहीं था और इसके अलावा, इसे वर्ष 2020 में देर से दायर किया गया था। उन्होंने कहा कि बिक्री विलेख, जिसके तहत होल्कर बड़ा बेचा गया था, को किसी भी सक्षम अदालत के समक्ष किसी भी कार्यवाही में चुनौती नहीं दी गई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया

कि अपीलार्थी ने कुशा घाट नहीं खरीदा है और वह केवल होल्कर बड़ा के नाम से जानी जाने वाली संपत्ति का खरीदार है।

15. उन्होंने 5 जून 2008 को न्यासी मंडल द्वारा बिक्री लेनदेन को मंजूरी देने के लिए पारित प्रस्ताव की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि बिक्री लेनदेन उस कीमत पर किया गया था जो मौजूदा बाजार मूल्य से कम थी। उन्होंने कहा कि पुराने किरायेदारों ने उक्त संपत्ति पर अतिक्रमण किया था और संपत्ति पर उनकी उपस्थिति राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई है।

हस्तक्षेप आवेदनों पर निवेदन

16. श्री प्रशांत भूषण, 2020 के I.A.No.124266 में आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील, सिविल अपील में दायर किए गए विशेष अनुमति याचिका (सी) सं। 12241-42 2020 में, विस्तृत प्रस्तुतियाँ की गई हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विवाद के बारे में

इंदौर के एक महाराजा द्वारा दावा की गई उपाधि को केंद्रीय सरकार द्वारा नामित श्री वी. पी. मेनन द्वारा वाचा के अनुच्छेद XII के संदर्भ में हल किया गया था। सरकार। 6 मई 1949 के एक पत्र द्वारा, उन्होंने खासगी संपत्तियों के संबंध में महाराजा के दावे का यह कहते हुए निपटारा किया कि इसे राज्य सरकार को हस्तांतरित माना जाएगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इसी आदेश में, राज्य सरकार में निहित खसगी संपत्तियों सहित धर्मार्थ संस्थाओं के रखरखाव, रखरखाव और संरक्षण के लिए एक न्यास का गठन करने का प्रस्ताव किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस तथ्य के अलावा कि न्यासियों को न्यास विलेख को अनुसूची के भाग 'बी' में वर्णित संपत्ति बेचने का कोई अधिकार नहीं था, अभिलेख पर दस्तावेज बताते हैं कि न्यास को अच्छी आय मिल रही थी और इसलिए, उक्त संपत्ति को बेचने की कोई आवश्यकता नहीं थी जिसे होल्कर बड़ा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बताया कि 23 अगस्त 2007 को द खासी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट, इंदौर बनाम द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था।

वी. आई. पी. आई. एन. धनितकर [अभय एस. ओका, जे.]

न्यासी मंडल श्री एस. सी. मल्होत्रा, एक न्यासी को केवल न्यास के कानूनी और अन्य मामलों के साथ-साथ न्यास की संपत्ति को देखने के उद्देश्य से संबंधित कर्मचारी/व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी देने के लिए अधिकृत करेगा। प्रस्ताव ने श्री एस. सी. मल्होत्रा को एक पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित करने के लिए अधिकृत नहीं किया, जिसमें वकील को संपत्ति बेचने या निपटाने के लिए अधिकृत किया गया था। हालाँकि, श्री एस. सी. मल्होत्रा ने धोखाधड़ी से श्री राघवेंद्र शर्मा के पक्ष में एक पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित किया, जिसमें उन्हें 13370 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की संपत्ति बेचने के लिए अधिकृत किया गया। फीट। कुशा घाट, हरिद्वार में। श्री एस. सी. मल्होत्रा के पास इस तरह के पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं था। इसी तरह, श्री कंवलजीत सिंह राठौर होने का दावा करते हैं खासगी ट्रस्ट के सचिव ने उक्त श्री राघवेंद्र के पक्ष में इसी तरह के वकील के अधिकार को लागू किया। उक्त पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर, श्री राघवेंद्र ने अपने पक्ष में चार अलग-अलग बिक्री विलेखों को निष्पादित किया।

अपने ही भाई श्री अनिरुद्ध कुमार। चार बिक्री विलेखों में से एक में, श्री अनिरुद्ध के साथ श्री राघवेंद्र की पत्नी को भी एक खरीदार के रूप में दिखाया गया है। इसलिए, वह प्रस्तुत करेंगे कि न्यासियों द्वारा धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया कि

उक्त श्री अनिरुद्ध के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख अवैध और अमान्य हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक सांसद द्वारा दायर शिकायत के आधार पर, प्राचार्य द्वारा एक विस्तृत जांच की गई थी सचिव। उन्होंने बताया कि केवल उक्त जांच में दर्ज निष्कर्षों के आधार पर कि कलेक्टर द्वारा विवादित आदेश पारित किया गया है।

17. खरीदार की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. पटवालिया ने जवाबी हलफनामे में संलग्न विभिन्न दस्तावेजों पर भरोसा करके आवेदक-श्री वेद प्रकाश पाल, जिनका प्रतिनिधित्व श्री प्रशांत भूषण ने किया है, के अधिकार पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने बताया कि आवेदक-श्री वेद प्रकाश पाल को श्री विजय सिंह पाल द्वारा स्थापित किया गया है, जिन्होंने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसे अंततः खारिज कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि हस्तक्षेपकर्ता श्री वेद प्रकाश पाल द्वारा अप्रैल 2019 में जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर की गई शिकायतों में से एक में उन्होंने उक्त श्री विजय सिंह पाल का सेल फोन नंबर अपना बताया है। उन्होंने यह दिखाने के लिए कई तस्वीरों और अन्य दस्तावेजों पर भरोसा किया कि आवेदक श्री विजय सिंह पाल का करीबी सहयोगी है, जो जनहित याचिका में याचिकाकर्ता थे। उन्होंने बताया कि श्री विजय सिंह पाल के नेतृत्व वाले सिंडिकेट के सदस्यों की आपराधिक पृष्ठभूमि है। उन्होंने

इस संबंध में कई दस्तावेजों का उल्लेख किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि श्री विजय सिंह पाल द्वारा दायर हस्तक्षेप के लिए आई. ए. को इस [2022] 17 एस. सी. आर. द्वारा खारिज कर दिया गया है।

अदालत बीस-पाँच लाख रुपये की लागत लगा कर। इसलिए, वह प्रस्तुत करेंगे कि श्री प्रशांत भूषण द्वारा किए गए हस्तक्षेप आवेदन को अनुकरणीय लागत के साथ खारिज किया जाना चाहिए।

18. 2021 के आई. ए. No.74790 में आवेदक रिचर्ड होल्कर की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने सिविल अपीलों में दायर किया

विशेष अनुमति याचिका (सी) सं। 12241-42 2020 में, प्रस्तुत किया गया कि 'महेश्वर वाड़ा' के रूप में जानी जाने वाली संपत्ति को महाराजा यशवंत राव होल्कर की निजी संपत्ति के रूप में स्वीकार किया गया था।

7 मई 1949। उनका निवेदन है कि उक्त संपत्ति के संबंध में आवेदक को दिए गए पट्टे में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया

कि उनके साथ लेन-देन को निष्पादित करने से पहले, न्यासियों ने सार्वजनिक न्यास अधिनियम की धारा 14 के तहत अनुमति के लिए आवेदन किया था। उन्होंने प्रस्तुत किया

कि किसी भी मामले में, आवेदक को उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में एक पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था और इसलिए, उच्च न्यायालय आवेदक के पक्ष में लेनदेन की वैधता के मुद्दे पर विचार नहीं कर सकता था।

19. 2020 के आई. ए. No.7103 में हस्तक्षेप करने वालों/आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने विशेष अवकाश से उत्पन्न सिविल अपील दायर की।

2020 की याचिका (सी) संख्या 12133 ने प्रस्तुत किया कि संपत्ति के प्रबंधन के लिए न्यास विलेख की विषय वस्तु के रूप में एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि खसगी ट्रस्ट को दी गई रुपये की वार्षिकी अपर्याप्त है और राज्य को इसमें काफी वृद्धि करनी चाहिए।

राज्य के स्वयं पर प्रस्तुतियाँ

मध्य प्रदेश

20. भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री बलबीर सिंह ने कहा कि खसगी ट्रस्ट के केवल एक ट्रस्टी श्री एस. सी.

मल्होत्रा ने इन दीवानी अपीलों के विषय में दो रिट याचिकाएं दायर की थीं और इसलिए, वे विचारणीय नहीं थीं। उनके पास दूसरे को छोड़कर खासगी ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं था

न्यासी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि न्यास विलेख की अनुसूची के भाग 'बी' की संपत्ति विषय वस्तु को पूर्ववर्ती मध्य भारत सरकार के पक्ष में व्यपगत माना गया था। न्यास विलेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्यासी केवल उक्त संपत्तियों के रखरखाव और संरक्षण के लिए अधिकृत थे। उन्होंने बताया कि 1973 के सिविल सूट No.15 में न्यासियों द्वारा दायर लिखित बयान के साथ-साथ उच्च न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा दायर रिट याचिका में यह स्वीकार किया गया है कि खसगी की संपत्ति का विषय खस्गी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट, इंदौर बनाम।

वी. आई. पी. आई. एन. धनैटकर [अभय एस. ओका, जे.]

न्यास विलेख का मामला राज्य सरकार के पक्ष में समाप्त हो गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि महाराजा और भारत सरकार के बीच आदान-प्रदान किया गया पत्राचार भारत के संविधान के अनुच्छेद 363 के अर्थ के भीतर एक संधि या समझौते का गठन करता है। इसलिए, उसी के आधार पर उत्पन्न होने वाले सभी विवादों पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वाचा के अनुच्छेद XII के अनुसार किए गए निर्णय के संदर्भ में, खासगी की संपत्तियां निहित हैं।

राज्य सरकार में और उसके बाद, राज्य सरकार को उक्त संपत्तियों से वंचित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा 13 जून 1969 को जारी पत्र में जो उल्लेख किया गया है, वह कानून के विपरीत है और इसलिए राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि खासगी ट्रस्ट एक सार्वजनिक ट्रस्ट है, जो सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम द्वारा शासित है। उन्होंने कहा कि चूंकि खसगी न्यास को राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं कहा जा सकता है, इसलिए सार्वजनिक न्यास अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत छूट लागू नहीं थी। यद्यपि धारा 14 द्वारा अधिरोपित प्रतिबंध

सार्वजनिक न्यास अधिनियम न्यास द्वारा किए गए सभी अलगावों पर लागू था, धारा 14 के तहत पंजीयक की पूर्व सहमति प्राप्त नहीं की गई थी।

21. उनके द्वारा यह बताया गया है कि 28 जुलाई 2007 को गणपति मंदिर के साथ 1800 वर्ग किलोमीटर की भूमि जुड़ी हुई थी। फीट। वार्षिक पट्टे पर दिया गया था प्रति वर्ष Rs.720/- की अल्प किराया राशि के लिए तीस वर्षों के लिए। चूंकि खसगी की संपत्ति, जो अपीलार्थी के मामले के अनुसार भी एक न्यास की संपत्ति थी, अवैध रूप से बेची गई थी, इसलिए आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जांच का आदेश दिया गया है। इसलिए, वह प्रस्तुत करेंगे कि विवादित फैसले में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

ध्यान देने के लिए मौखिक प्रश्न

22. बार में की गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, मोटे तौर पर निम्नलिखित मुख्य प्रश्न हमारे विचार के लिए उत्पन्न होते हैं:

क्या भाग 'ख' में शामिल गुण

ए।

न्यास विलेख की अनुसूची खसगी की संपत्तियाँ हैं।

भरोसा है?

बी।

क्या खसगी ट्रस्ट के भीतर एक सार्वजनिक ट्रस्ट है

मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 का अर्थ और क्या इसके प्रावधान न्यास पर लागू होते हैं?

क्या 08 मई का पूरक न्यास विलेख

सी.

1972 क्या यह वैध और वैध है?

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्या खसगी न्यास के न्यासी एक के अधीन थे

डी।

लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 14 के अनुसार पंजीयक की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने का दायित्व

न्यास की संपत्ति को अलग करने के लिए?

क्या उच्च न्यायालय की खंड पीठ सही थी

ई.

अभिनिर्धारित करते हुए कि 5 नवंबर 2012 का विवादित आदेश

कलेक्टर द्वारा पारित किया जाना वैध और सही था? क्या राज्य की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा न्यासियों के खिलाफ गबन के आरोपों की जांच का निर्देश देने में उच्च न्यायालय उचित था

आबन

सरकार? और

क्या केवल एक न्यासी द्वारा दायर रिट याचिकाएँ

जी।

विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष खासगी ट्रस्ट रखरखाव योग्य था?

भाग 'ख' में संपत्तियों की स्थिति

न्यास विलेख की अनुसूची (प्रश्न-क)

23. न्यास विलेख के अवलोकन से पता चलता है कि 246 अचल संपत्तियाँ

इसकी अनुसूची के भाग 'बी' में रखा गया है। न्यास के एक पाठ में भाग 'बी' में संपत्तियों को 'न्यास' के रूप में वर्णित किया गया है।एर्टिस "। नांत के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करना आवश्यक है जिसमें महाराजा एक पक्ष हैं। वाचा का अनुच्छेद XII

इस प्रकारः

" (1) प्रत्येक करार करने वाले राज्य का शासक उस राज्य का प्रशासन राज प्रमुख को सौंपने की तारीख को अपनी सभी निजी संपत्तियों (राज्य की संपत्तियों से अलग) के पूर्ण स्वामित्व, उपयोग और आनंद का हकदार होगा।

(2) वह पहले दिन से पहले राज प्रमुख को प्रस्तुत करेगा।

अगस्त 1948 सभी अचल संपत्तियों की एक सूची,

प्रतिभूतियाँ और नकद शेष राशि जो उसके पास ऐसी निजी संपत्ति के रूप में है।

(3) यदि इस बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है कि संपत्ति की कोई वस्तु शासक की निजी संपत्ति है या राज्य की संपत्ति है तो उसे संदर्भित किया जाएगा। राज प्रमुख और उस व्यक्ति के निर्णय के परामर्श से भारत सरकार ऐसे व्यक्ति को नामित कर सकती है।

सभी संबंधित पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

बशर्ते कि ऐसा कोई भी विवाद जुलाई 1949 के पहले दिन के बाद संदर्भित नहीं किया जाएगा। खस्गी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट, इंदौर बनाम।

वी. आई. पी. आई. एन. धनितकर [अभय एस. ओका, जे.]

24. ऐसा प्रतीत होता है कि महाराजा ने अपनी सभी अचल संपत्तियों, प्रतिभूतियों और नकद शेष राशि की सूची बनाई थी। महाराजा ने अनुच्छेद XII के खंड (3) के संदर्भ में दावा किया। भारत सरकार के सचिव श्री वी. पी. मेनन को भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 12 के खंड (3) के संदर्भ में विवाद पर निर्णय लेने के लिए नामित किया गया था। 6 मई 1949 को श्री वी. पी. मेनन द्वारा संबोधित पत्र द्वारा महाराजा को सूचित किया गया कि अनुच्छेद 12 के अनुसार महाराजा की निजी संपत्तियों की सूची प्रस्तुत की गई है।

स्वीकृत और स्वीकृत। उक्त पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि अनुलग्नक 'ए' में उन संपत्तियों की सूची है जिन्हें निजी संपत्तियों के रूप में अनुमोदित किया गया है

महाराजा की। अनुलग्नक 'ए' में कई गुण हैं। मान लीजिए, इनमें से किसी भी संपत्ति को न्यास विलेख की अनुसूची के भाग 'बी' में शामिल नहीं किया गया है। श्री वी. पी. मेनन ने 7 मई 1949 को महाराजा को एक अन्य पत्र संबोधित किया जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि सूची में खासी संपत्तियों के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत दावे का भी निपटारा कर दिया गया है।

उक्त पत्र के संलग्नक के अनुसार। उक्त पत्र का संलग्नक बहुत प्रासंगिक है जो इस प्रकार हैः

" महामहिम महाराजा यशवंत राव होल्कर,

इंदौर के महाराजा,
इंदौर

मध्य भारत के लिए सभी समय के लिए 'लैप्स' माना जाए सरकार। इसके बदले में निम्नलिखित गारंटी हैं -

नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन दिया गया हैः
(1) मध्य भारत सरकार अपने राजस्व से वार्षिक रूप से एक करोड़ रुपये (दो लाख रुपये, नब्बे-एक हजार नौ सौ पचास-दो रुपये) अलग रखेगी, जो होल्कर राज्य के बजट में दी गई राशि है।

परोपकार। इस राशि को वित्त पोषित किया जाएगा और महामहिम की चैरिटी सहित उक्त चैरिटी के लिए एक स्थायी ट्रस्ट के तहत रखा जाएगा। महार अहिल्या बाई होल्कर।

न्यास में निम्नलिखित शामिल होंगेः

1. इंदौर के शासक जो हमेशा न्यास के अध्यक्ष रहेंगे।

2. शासक के दो नामांकित व्यक्ति।

3. भारत सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति।

4. मध्य भारत सरकार के दो मनोनीत।

ध्यान दें: भारत सरकार द्वारा नामित न्यासी

और मध्य भारत सरकार इस प्रकार नियुक्त की जाएगी।

शासक के परामर्श से।

न्यास की शक्तियाँ और कार्य निम्नलिखित के अधीन होंगे - केंद्रीय या मध्य भारत जैसे कानून

सरकार आम तौर पर विनियमन के उद्देश्यों के लिए अधिनियम बना सकती है -

ऐसे न्यास, सिवाय इसके कि न्यास की संरचना और

इसके गठन का तरीका जैसा कि ऊपर बताया गया है, ऐसा नहीं होगा इस तरह के कानून द्वारा किसी भी संशोधन या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी।

(जोर दिया गया)

25. इस प्रकार, भारत सरकार ने माना कि खसगी की संपत्तियाँ

और खसगी से होने वाली आय को मध्य भारत सरकार के लिए सर्वकालिक व्यपगत माना जाना चाहिए। इससे पता चलता है कि खासगी की संपत्तियों के संबंध में महाराजा द्वारा किए गए दावे को स्वीकार नहीं किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि उक्त संपत्तियां राज्य सरकार में निहित होंगी। इसके बदले में कुछ गारंटी दी गई थी

भारत सरकार, जिसमें यह शामिल था कि उक्त दान (खासगी संपत्तियों और महारानी अहिल्यादेवी होल्कर की दान) के लिए एक स्वायत्त न्यास बनाया जाएगा। ट्रस्ट का नेतृत्व इंदौर के शासक को अध्यक्ष के रूप में करना था। पाँच अन्य न्यासियों में से दो को शासक द्वारा नामित किया जाना था, दो को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाना था और एक को भारत सरकार द्वारा नामित किया जाना था। सरकार द्वारा नामित लोगों की नियुक्ति शासक के परामर्श के बाद की जानी थी। न्यास की शक्तियाँ और कार्य राज्य या केंद्रीय विधान के अधीन किए गए थे, जिन्हें भविष्य में अधिनियमित किया जा सकता है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि कानून स्वायत्त न्यास के गठन और न्यास की संरचना के तरीके को नहीं बदलेगा।

26. महाराजा द्वारा दावे की अस्वीकृति के अलावा

खस्गी संपत्तियों के न्यासियों ने बार-बार स्वीकार किया है कि वाचा के अनुच्छेद 12 के खंड (3) के अनुसार विवाद के निपटारे के आधार पर राज्य सरकार खस्गी संपत्तियों की मालिक बन गई है। 1975 का मुकदमा संख्या 15 होल्कर परिवार के एक सदस्य द्वारा दायर किया गया था, जिसके लिए खासगी ट्रस्ट के साथ-साथ अन्य आई. ई. खास्गी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट, इंदौर बनाम।

वी. आई. पी. आई. एन. धनितकर [अभय एस. ओका, जे.]

होल्कर परिवार के लोग पार्टी के प्रतिवादी थे। एक लिखित बयान

उक्त मुकदमे में खासगी ट्रस्ट द्वारा दायर किया गया। उक्त अनुच्छेद 6

एन कथन सामग्री है, जो इस प्रकार हैः

" 6. पैरा 6 का जवाबः यह स्वीकार किया जाता है कि संपत्ति पर उनके स्वर्गीय महामहिम के लिए उतरा

अपने पूर्ववर्ती होल्कर राजवंश के शासक से उत्तराधिकार और

पैरामाउंट पावर द्वारा मान्यता। संपत्ति में शामिल है श्रीमंत होल्कर द्वारा अधिग्रहित राज्य मल्हारराव विस्तार और

आगे और इसके अलावा सुभेदार अधिग्रहण, क्रमिक शासकों द्वारा,

उनके स्वर्गीय महामहिम सहित। दी गई संपत्ति

महारानी गौतमबाई होल्कर अपने पति के कहने पर

सुभेदार मल्हारराव को अलग से आयोजित और प्रबंधित किया गया था या शासक की सहमति की ओर से और कहा जाता था

" खासगी की संपत्ति, देवी अहिल्याबाई ने सार्वजनिक धार्मिक रचना की

और उसके संसाधनों से और में धर्मार्थ बंदोबस्ती

वर्ष 1904 में खासगी की संपत्ति का प्रशासन उनके द्वारा किया गया।

होल्कर राज्य। प्रशासन के एकीकरण में

राज्यों के शासकों द्वारा की गई वाचा के तहत मध्य भारत में, संपत्ति का प्रशासन बसाया गया

द्वारा स्थापित सार्वजनिक धर्मार्थ और धार्मिक दान के लिए

देवी अहिल्याबाई भी संयुक्त राज्य मध्य में चली गईं।

भारत, एक प्रावधान किया गया है कि दान

किसी भी निर्देश के अधीन प्रशासित किया जाएगा या

निर्देश जो समय-समय पर दिए जा सकते हैं

भारत सरकार। संपत्तियों को एक के रूप में निपटाया गया था

दान के लिए धन की नींव। इन गुणों को समाप्त कर दिया गया इसके बदले में राज्य और नकद अनुदान दिया गया था। खासगी (देवी)

अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट का गठन किया गया था

यह न्यास निधि और दान। सार्वजनिक न्यासों का पंजीयक न्यास को एक एजेंसी द्वारा प्रशासित एक सार्वजनिक न्यास के रूप में बरकरार रखा है

राज्य के नियंत्रण में कार्य करना। इसके साथ एक प्रति संलग्न है।

संबंधित क्रम और 'बी' चिह्नित।

(जोर दिया गया)

27. पैराग्राफ 29.2 और 29.3 भी प्रासंगिक हैं, जो इस प्रकार हैंः

" 29.2 जैसा कि ऊपर बताया गया है, निजी संपत्तियों की सूची का निपटारा किया गया है

1948 में वाचा के तहत बंदोबस्ती [2022] 17 एस. सी. आर. को बाहर रखा गया।

1950 तक मध्य भारत के संयुक्त राज्य में निहित, तब मध्य भारत के भाग 5 राज्य में 1956 तक और उसके बाद

वर्ष तक मध्य प्रदेश के पुनर्गठित राज्य में 1962 जब दोनों न्यासों को दायित्व के तहत बनाया गया था

ऐसा करने के लिए। अनुच्छेद VI: (2) (ग) करार को मान्यता दी गई

धार्मिक, धर्मार्थ और ऐतिहासिक दान और उन्हें निजी संपत्तियों से अलग रखना।

29.3 प्रतिवादियों का कहना है कि संपत्ति जो अंततः

इन दोनों न्यासों में निहित निजी संपत्ति नहीं थी

उनके स्वर्गीय महामहिम। वे महामहिम में भी निहित नहीं थे

वैकल्पिक रूप से, वे या तो राज्य प्रोप या संपत्तियां थीं जो के अनुच्छेद 47 के तहत संयुक्त राज्य मध्य भारत में निहित

वाचा "।

(जोर दिया गया)

पैराग्राफ 29.4 में फिर से यह कहा गया है: " 29.4 यह लगातार तीन सरकारों में निहित है

ऊपर निर्दिष्ट और द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिवादी संख्या 1 को

वाचा के तहत न्यासों के निर्माण के उद्देश्यों के लिए

राज्य के ऐसे कार्य थे जिन्हें वादी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती थी

नगरपालिका अदालतों में "।

(जोर दिया गया)

28. यहां तक कि खसगी ट्रस्ट द्वारा दायर रिट याचिका में भी, जिसमें से

सिविल अपीलों पर नाराजगी, पैराग्राफ में एक विशिष्ट रुख लिया गया था

खासगी प्रॉपर्टीज में दान और धार्मिक दान थे।

इंदौर के शासकों का परिवार। एक स्टैंड लिया गया था कि होल्कर शासकों द्वारा रखे गए खसगी राज्य सरकार में निहित थे जो उस उद्देश्य के लिए बनाए गए ट्रस्ट को बहाल कर दिया गया था। प्रासंगिक भाग

ग्राफ 5.1 इस प्रकार हैः

" 5.1 . याचिकाकर्ता एक धार्मिक और धर्मार्थ न्यास है

एक पंजीकृत साधन द्वारा 27.06.1962 पर गठित।

आई. ई. खसगी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट, इंदौर बनाम। वी. आई. पी. आई. एन. धनितकर [अभय एस. ओका, जे.]

न्यास विलेख यहाँ संलग्नक पी-2 चिह्नित किया गया है। हालाँकि, न्यास और इसकी गतिविधियों के इतिहास का पता होल्कर शासकों से लगाया जा सकता है जिन्होंने 1761 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक इंदौर में होल्कर राज्य की स्थापना और शासन किया था, जब उक्त राज्य (यानी होल्कर राज्य) पहले मध्य भारत के नाम से भाग बी राज्य में विलय करके भारत संघ में शामिल हो गया था। अपने शासन की स्थापना के समय से ही, विशेष रूप से होल्कर शासकों ने

और धार्मिक दान का प्रबंधन और देखभाल शासकों और उनकी रानियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जाती थी, जिसे "खासगी" या "व्यक्तिगत" दान और धार्मिक दान कहा जाने लगा। हालाँकि, चूंकि उन दिनों 'राज्य' और 'व्यक्तिगत' दान और धार्मिक दान के बीच बहुत कम या कोई अंतर नहीं था, इसलिए उक्त दान के रखरखाव और प्रबंधन के लिए धन। और राज्य द्वारा धार्मिक दान प्रदान किए गए थे और तदनुसार एक बजटीय प्रावधान किया गया था। ऐतिहासिक रूप से, इसलिए, दान और धार्मिक दान को संपत्ति की एक अलग और तीसरी प्रजाति माना जाने लगा।

राज्य की संपत्तियों और/या होल्कर राज्य के शासकों की व्यक्तिगत संपत्तियों से अलग। 29. पैराग्राफ 5 भी सामग्री है, जो इस प्रकार हैः

" 5.2 न्यास के दान और धार्मिक दान की उपरोक्त प्रकृति न्यास विलेख, विशेष रूप से खंड (3), (5), (12), (15) और (17) के पाठों से भी स्पष्ट है। (कृपया अनुलग्नक पी-2 देखें)। इसलिए यह स्पष्ट है कि होल्कर

शासकों ने देश भर में कई धार्मिक स्थानों पर संपत्ति अर्जित की और कई मंदिरों, धर्मशालाओं, घाटों आदि की स्थापना की और इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित किया। हालाँकि, जाहिर तौर पर ऐसी कई संपत्तियाँ थीं जिनका इस तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता था, लेकिन जिनका स्वामित्व और प्रबंधन खासी संपत्तियों के रूप में जारी रहा।

अंततः, जब 1962 में न्यास की स्थापना हुई, तो मंदिर, धर्मशाला, घाट आदि सहित ऐसी सभी संपत्तियां, जो खासगी संपत्तियों का हिस्सा थीं, निहित की गईं और न्यास विलेख की सूची/अनुसूची के अनुसार याचिकाकर्ता न्यास को सौंप दी गईं। ऐसा भी प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ट्रस्ट [2022] 17 एस. सी. आर. बनाया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सक्रिय समर्थन, भागीदारी और अनुमोदन के साथ

राज्य सरकार बाद के मुआफी विभाग के रूप में, जो खस्गी की संपत्तियों की देखभाल कर रहा था

मध्य भारत के साथ होल्कर राज्य का विलय जाहिरा तौर पर कई का प्रबंधन करना मुश्किल लगता है और

नाममात्र के बजट अनुदान में खासी की दूरदराज की संपत्तियाँ

लगभग रु. 2. 91 लाख। जाहिरा तौर पर संपत्ति खतरे में थी

फिर भी, यह तथ्य था कि दान और धार्मिक दान थे अपनी ऐतिहासिक पहचान और महत्व खोने के खतरे में, दोनों

जो पूर्ववर्ती होल्कर शासकों के साथ निकटता से जुड़े थे।

इसलिए, उपरोक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, राज्य

सरकार ने अपने विवेक से खासगी को बहाल करने का फैसला किया

पूर्ववर्ती होल्कर शासकों को प्राप्त करके उनकी संपत्तियाँ

याचिकाकर्ता ट्रस्ट बनाने के लिए जो वाहन इस्तेमाल किया गया था

खासगी की संपत्तियों को उन्हें सौंपने के लिए। हालांकि, याचिकाकर्ता ट्रस्ट उनके निधन के बाद ही अस्तित्व में आ सका

स्वर्गीय महाराजा यशवंत राव होल्कर की प्रक्रिया हालांकि

उनकी शुरुआत उनके जीवनकाल के दौरान बहुत पहले हुई थी।

(जोर दिया गया)

30. 23 जून 1969 को न्यासियों द्वारा एक आवेदन किया गया था।

सार्वजनिक न्यास अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत छूट के संबंध में घोषणा की मांग करते हुए पंजीयक को खासी संपत्तियों की। उक्त आवेदन के पैराग्राफ 6 में न्यासियों ने कहा कि कि दान और धार्मिक दान शुरू में पूर्ववर्ती होल्कर राज्य के प्रबंधन के अधीन थे। उन्होंने आगे कहा कि

होल्कर राज्य के मध्य भारत राज्य में विलय के बाद, दान और धार्मिक दान का प्रबंधन और अधिकार 16 जुलाई 1962 तक राज्य सरकार और उसके उत्तराधिकारियों के पास रहा, जब इसे न्यासियों को सौंप दिया गया। खासगी न्यास के न्यासियों द्वारा लगातार लिया गया रुख स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह एक स्वीकृत

स्थिति है कि न्यास विलेख की अनुसूची के भाग 'ख' में वर्णित संपत्तियां अनुच्छेद 12 के खंड (3) के अनुसार निर्णय के बाद राज्य सरकार में निहित थीं। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि महाराजा या उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने खसगी संपत्तियों के स्वामित्व के मुद्दे पर किए गए उक्त निर्णय को चुनौती नहीं दी और उनमें से किसी ने भी खसगी संपत्तियों/दान को लेने के राज्य सरकार के कार्य को विवादित या चुनौती नहीं दी।

खास्गी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट में, इंदौर बनाम. वी. आई. पी. आई. एन. धनितकर [अभय एस. ओका, जे.]

वास्तव में, महाराजा ने दो न्यासियों को नामित करके इस पर कार्रवाई की। उक्त निर्णय के आधार पर खासगी ट्रस्ट का गठन किया गया है। अतः न्यासी निर्णय लेने के लिए बाध्य हैं।

31. इस प्रकार, वाचा के अनुच्छेद 12 के खंड (3) के अनुसार किए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, खासगी संपत्तियां जो न्यास विलेख की अनुसूची के भाग 'बी' में सूचीबद्ध हैं, राज्य सरकार में निहित हैं।

32. 6 जनवरी 1959 को मध्य प्रदेश सरकार के अवर सचिव ने महाराजा के निजी सचिव को लिखा कि

राज्य सरकार ने श्री वी. पी. मेनन द्वारा 6 मई, 1949 को संबोधित पत्र के संलग्नक के अनुसार गठित किए जाने वाले न्यास के लिए इंदौर मंडल के आयुक्त और इंदौर मंडल के अधीक्षण अभियंता (बी एंड आर), पी. डब्ल्यू. डी. को नामित करने का प्रस्ताव किया है। इसलिए, राज्य सरकार को यह बताने का अनुरोध किया गया कि क्या महाराजा ने उनके नामांकन स्वीकार कर लिए हैं। पत्र में लिखा है कि इसके बाद

महाराजा से जवाब मिलने पर न्यास विलेख के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। 1 अप्रैल 1959 के पत्र के अनुसार, राज्य सरकार के उप सचिव ने इंदौर के महाराजा के निजी सचिव से दो व्यक्तियों को नियुक्त करने का अनुरोध किया। न्यासी। तुरंत नामांकन करने का अनुरोध किया गया ताकि राज्य सरकार न्यास विलेख के मसौदे को अंतिम रूप दे सके। 14 नवंबर 1959 को अवर सचिव द्वारा संबोधित पत्र

महाराजा के सचिव की राज्य सरकार दोहराती है कि महाराजा द्वारा नामांकन की पुष्टि करने के बाद न्यास विलेख को अंतिम रूप दिया जाएगा। 14 अप्रैल 1961 के पत्र द्वारा, के अवर सचिव मध्य प्रदेश सरकार ने महाराजा के निजी सहायक को सूचित किया कि खासगी ट्रस्ट का मसौदा विलेख अभी भी विचाराधीन है और इसे अंतिम रूप देते ही भेजा जाएगा। ये समकालीन दस्तावेज़ स्थापित करते हैं कि राज्य सरकार

न्यास विलेख का मसौदा तैयार किया गया जिसके अनुसार 27 जून 1962 का न्यास विलेख निष्पादित किया गया था। चूंकि खसगी न्यास का गठन वाचा के अनुच्छेद 12 के खंड (3) के संदर्भ में निर्णय के आधार पर किया गया था, इसलिए न्यास विलेख का मसौदा राज्य द्वारा तैयार किया गया था सरकार। पाठों में से एक अनुसूची के भाग 'बी' में निहित संपत्तियों को न्यास की संपत्तियों के रूप में संदर्भित करता है। न्यास विलेख के विभिन्न खंड इस तथ्य का उल्लेख करते हैं कि खासगी की संपत्तियां, जो राज्य सरकार में निहित थीं, खासगी न्यास की न्यास संपत्ति बन गईं। न्यास विलेख में पाठ और खंड बहुत प्रासंगिक हैं क्योंकि न्यास विलेख [2022] 17 एस. सी. आर. था।

राज्य सरकार द्वारा। खंड 3 और 5 ऐसी सामग्री हैं जो

इस प्रकारः

" 3. बसायक एतद्वारा न्यास की संपत्तियों को हस्तांतरित करता है न्यासी जो न्यास पर समान धारण करेंगे और होंगे

रखरखाव, रखरखाव और संरक्षण के लिए जिम्मेदार

उक्त दान और धार्मिक दान।

XXX

XXX

XXX

5. न्यासी न्यास की संपत्तियों का स्वामित्व और स्वामित्व रखेंगे और

किराया, लाभ, ब्याज और किसी अन्य आय के रूप में धन की राशि न्यास को उपार्जित करना "।

(जोर दिया गया)

यहां तक कि न्यास विलेख का खंड 7 भी रखरखाव को संदर्भित करता है,

ई. पी. और न्यास की संपत्तियों का संरक्षण, जो इस प्रकार हैः

" (7) . न्यासी न्यास के बजट अनुमान तैयार करेंगे। प्रत्येक वर्ष और आय को पूरा करने के लिए लागू करेगा

प्रस्तावना के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित न्यास के उद्देश्य

इस विलेख के और रखरखाव, रखरखाव और

न्यास की संपत्तियों का अच्छी स्थिति में संरक्षण और

उसमें आवश्यक मरम्मत करेगा और शेष राशि, यदि कोई हो,

की पूर्ति में लागू होने के लिए रखा और जमा किया जाए

न्यास के उपरोक्त उद्देश्य और खंड में निर्धारित उद्देश्यों के लिए (14) इसके नीचे "।

(जोर दिया गया)

33. 16 जुलाई 1962 की रिपोर्ट के तहत, के मुआफी अधिकारी

सरकार ने खसगी की संपत्तियों का कब्जा सौंप दिया

साथ ही आलमपुर न्यास से न्यास के सचिव को। में।

उपरोक्त संपत्तियों को सौंपने की अधिसूचना

27 जुलाई 1962 को राज्य सरकार द्वारा मुकदमा दायर किया गया। अंग्रेज़ी अनुवाद

उक्त अधिसूचना इस प्रकार है। :

" मध्य प्रदेश राज्य दिनांक 27.07.1962

आयोगों और जिलों के लिए संवाद

अध्यक्ष

आयोग का कार्यालय, इंदौर विभाग।

खस्गी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट, इंदौर बनाम। वी. आई. पी. आई. एन. धनितकर [अभय एस. ओका, जे.]

इंदौर

(पार्टी सेक्शन)

मध्य भारत के गठन के कारण, क्षेत्र, संस्थान,

आयुक्त, क्षमा कार्यालय का प्रबंधन। अब, संबंध में इन संपत्तियों को अनुमति देते हुए सरकार

दो न्यासों के गठन के लिए, एक खासगी न्यास (महारानी)

अहिल्याबाई चैरिटी ट्रस्ट) और दूसरा आलमपुर ट्रस्ट (द

होल्कर छत्रिस ट्रस्ट) ने स्थानांतरण को मान्यता प्रदान की है।

न्यास विलेख में शामिल क्षेत्रों, संस्थानों आदि के

उपरोक्त न्यास। तदनुसार, सभी क्षेत्र, संस्थान,

इस संबंध में कारखाने, "छत्रियां", धार्मिक स्थल आदि।

ट्रस्ट के साथ उन्हें 16.07.1962 पर स्थानांतरित कर दिया गया था।

इसलिए, सभी सरकारी कार्यालयों और सामान्य लोगों की जानकारी के लिए

सार्वजनिक रूप से, यह विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है।

(2273)

एम. पी. श्रीवास्तव, आयुक्त "

(जोर दिया गया)

इस प्रकार, अनुसूची के भाग 'बी' में वर्णित गुण

राज्य सरकार में निहित न्यास विलेख को इसके निगमन पर स्वायत्त खसगी न्यास को हस्तांतरित कर दिया गया था। वास्तव में, 2012 तक, राज्य सरकार ने कभी इस बात पर विवाद नहीं किया कि न्यास विलेख की अनुसूची के भाग 'बी' में सूचीबद्ध खसगी संपत्तियां खसगी न्यास की न्यास संपत्तियां थीं। इसलिए, उस हद तक, उच्च न्यायालय की खंड पीठ सही नहीं है जब यह निष्कर्ष निकाला गया कि संपत्तियां निगमित हैं।

न्यास विलेख की अनुसूची के भाग 'बी' में 16 जुलाई 1962 के बाद भी सरकारी संपत्तियां बनी हुई हैं। उक्त संपत्तियां खासगी ट्रस्ट में निहित हैं।

प्रावधानों की प्रयोज्यता

सार्वजनिक विश्वास अधिनियम (प्रश्न-ख)

34. तय किया जाने वाला दूसरा मुद्दा यह है कि क्या इसके प्रावधान

पब्लिक ट्रस्ट एक्ट खासगी ट्रस्ट पर लागू होता है। हम पहले ही श्री वी. पी. मेनन द्वारा जारी 6 मई 1949 के पत्र के संलग्नक का हवाला दे चुके हैं। इस बाड़े में खासगी की संपत्तियों के बारे में महाराजा द्वारा किए गए दावे पर भारत सरकार का निर्णय शामिल है। यह विशेष रूप से दर्ज करता है कि खासगी ट्रस्ट [2022] 17 एस. सी. आर. की शक्तियाँ और कार्य।

केंद्र सरकार या मध्य भारत सरकार द्वारा विनियमित करने के उद्देश्यों के लिए आम तौर पर अधिनियमित किए जाने वाले कानून के अधीन होगी। ऐसे न्यास। इस संदर्भ में हमें लोक न्यास अधिनियम के प्रावधानों की जांच करनी होगी, जिसे वर्ष 1951 में अधिनियमित किया गया था। उप.

धारा 2 की धारा (4) एक सार्वजनिक न्यास को परिभाषित करती है, जो इस प्रकार है। :

" 2. परिभाषाएँ। इस अधिनियम में, जब तक कि इसमें कुछ भी अप्रिय न हो

विषय या संदर्भ,

(1) ....;

(2) . ...

(3) .....

(4) " सार्वजनिक न्यास का अर्थ है एक व्यक्त या रचनात्मक न्यास।

सार्वजनिक, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए और इसमें एक मंदिर, एक मठ, एक मस्जिद, एक चर्च, एक वक्फ या कोई अन्य धार्मिक या धर्मार्थ बंदोबस्ती और एक धार्मिक या धर्मार्थ संगठन के लिए गठित एक समाज शामिल है।

धर्मार्थ उद्देश्य;

(5) . ...

35. ट्रस्ट डीड पर वापस आते हुए, ट्रस्ट का उद्देश्य ट्रस्ट की संपत्तियों और दान के साथ-साथ धार्मिक दान को बनाए रखना और संरक्षित करना है। न्यास विलेख की अनुसूची के भाग 'ए' में धर्म के विभिन्न स्थानों, जैसे मंदिरों, अन्न चत्रों, पीरस्थानों, धर्मशालाओं को दान और दान के बारे में विवरण शामिल है।

छत्रियाँ। अनुसूची के भाग 'बी' में कुछ संपत्तियां मंदिर और धार्मिक स्थल हैं। ट्रस्ट का निर्माण ट्रस्ट की संपत्तियों के संरक्षण और रखरखाव के उद्देश्य से किया गया था जो दान और सहायता हैं।

दान। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि खासगी ट्रस्ट, एक एक्सप्रेस है।

सार्वजनिक, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट। सार्वजनिक न्यास अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत, ऐसे प्रत्येक न्यास को अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता होती है।

36. न्यासियों ने अपनी अपीलों के समर्थन में 10 अगस्त 1971 के सार्वजनिक न्यास पंजीयक द्वारा पारित आदेश पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि खासगी न्यास लोक न्यास अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत छूट का हकदार था। उक्त आदेश का अनुच्छेद 3 इस प्रकार है। :

" 3 खासगी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट की प्रबंधन समिति के पांच सदस्यों में से राज्य द खासगी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट, इंदौर बनाम द्वारा नामित किया जाता है।

सरकार और केंद्र सरकार। ऐसी परिस्थितियों में,

इस न्यास पर राज्य सरकार का नियंत्रण स्पष्ट रूप से स्पष्ट है।

यहां तक कि न्यास की बचत भी केवल पहले की राशि पर ही खर्च की जा सकती थी।

धारा के अनुसार राज्य सरकार की अनुमति

14 न्यास विलेख। इससे यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार

वर्तमान न्यास के पूर्ण नियंत्रण में है और यह छूट के लिए पात्र है

पंजीकरण से। मेरा मानना है कि द्वारा उठाई गई आपत्ति

न्यास का सचिव वैध और उपयुक्त है। इस प्रकार, कार्यवाही

पंजीकरण समाप्त हो गया है "।

37. इसलिए, धारा 36 के दायरे पर विचार करना आवश्यक है।

सुविधा के लिए, हम धारा 36 को पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं, जो

इस प्रकार पढ़ता हैः

" 36. छूट।

(1) इस अधिनियम में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा

(क) किसी भी कार्य एजेंसी द्वारा प्रशासित एक सार्वजनिक न्यास

राज्य के नियंत्रण में या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा,

समय प्रभावी है, और

(ग) एक सार्वजनिक न्यास जिसके लिए मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1954 (29)

1954 का) लागू होता है।

(2)

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा छूट दे सकती है,

उक्त में ऐसी छूट के कारणों को निर्दिष्ट करना

अधिसूचना, किसी भी सार्वजनिक न्यास या सार्वजनिक न्यास के वर्ग से

इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान के अधीन

शर्तें, यदि कोई हों, जो राज्य सरकार उचित समझे

लागू करें "।

(जोर दिया गया)

38. पंजीयक का आदेश इस आधार पर आगे बढ़ता है कि

यदि धारा 36 की उप-धारा (1) का खंड (ए) लागू होता है, तो सार्वजनिक न्यास अधिनियम की धारा 14 लागू होगी। जाहिर है, अगर खंड (ए) आकर्षित किया जाता है,

लोक न्यास अधिनियम में निहित कुछ भी ऐसे न्यास पर लागू नहीं होगा,

जिसमें धारा 14 भी शामिल होगी। के अधीन पंजीयक की शक्तियाँ

लोक न्यास अधिनियम अध्याय 5 में पाया जाता है। लोक न्यास अधिनियम के किसी भी प्रावधान ने पंजीयक को यह निर्णय लेने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की है कि

सवाल यह है कि क्या [2022] 17 एस. सी. आर. की उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत छूट है।

एक न्यासी को नामित करने के लिए केंद्र सरकार में निहित होने का प्रयोग शासक के परामर्श से किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा नामित तीन न्यासियों के पास निर्णय लेने में बहुमत नहीं है। खासगी ट्रस्ट के कामकाज पर राज्य सरकार का कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है। एक मायने में यह एक स्वायत्त सार्वजनिक न्यास है। इसलिए, इसके बावजूद, धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (ए) का कोई अनुप्रयोग नहीं है। खासगी ट्रस्ट अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत आने का दावा नहीं कर सकता है। धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (क) में।

39. हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि उच्च न्यायालय ने गलत आधार पर आगे बढ़ना शुरू किया है क्योंकि उप के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।

धारा 36 की धारा (2), धारा 36 की उप-धारा (1) का खंड (ए) लागू नहीं होगा। उप-धारा 36 की धारा (1) और (2) विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती हैं। जब उप-धारा (1) किसी सार्वजनिक न्यास पर लागू होती है, तो सार्वजनिक न्यास अधिनियम का कोई भी प्रावधान न्यास पर लागू नहीं होता है। उप-धारा (2) राज्य सरकार की अधिसूचना जारी करने की एक स्वतंत्र शक्ति है। कुछ सार्वजनिक न्यासों को सार्वजनिक न्यास अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान से छूट देना। इस प्रकार, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि खासगी न्यास सार्वजनिक न्यास अधिनियम द्वारा शासित होगा और उसी के अनुसार इसे पंजीकृत करने की आवश्यकता है।

पूरक न्यास विलेख की वैधता (प्रश्न-ग) ए को बनाए रखने का दायित्व

धारा 14 के तहत अनुमति (प्रश्न-घ)

40. हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि 10 अगस्त 1971 के पंजीयक के आदेश के कारण, यहाँ तक कि खसगी न्यास के न्यासियों के पास यह विश्वास करने का कारण था कि हालांकि धारा की उप-धारा (1) के खंड (ए) के आधार पर खसगी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज़) ट्रस्ट, इंदौर बनाम।

36 , न्यास को सार्वजनिक न्यास अधिनियम के तहत पंजीकरण से छूट दी गई थी, इसकी धारा 14 लागू थी। धारा 14 इस प्रकार हैः

" 14. सार्वजनिक न्यास से संबंधित संपत्ति की बिक्री आदि के मामलों में पंजीयक की पूर्व मंजूरी। - (1) न्यास के लिखत में दिए गए निर्देशों या इसके तहत दिए गए किसी भी निर्देश के अधीन या

किसी भी न्यायालय द्वारा अन्य कानून - (क) किसी भी अचल संपत्ति की कोई बिक्री, बंधक, उपहार का आदान-प्रदान नहीं;

और

(ख) कृषि भूमि के मामले में सात वर्ष से अधिक की अवधि के लिए या मामले में तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कोई पट्टा नहीं। गैर-कृषि भूमि या भवन;

सार्वजनिक न्यास से संबंधित, पूर्ववर्ती के बिना वैध होगा

पंजीयक की मंजूरी।

(2) पंजीयक उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी लेन-देन के संबंध में अपनी मंजूरी से तब तक इनकार नहीं करेगा जब तक कि ऐसा संक्रमण, उसकी राय में, सार्वजनिक न्यास के हितों के लिए प्रतिकूल न हो।

खासगी न्यास के सचिव द्वारा 21 अगस्त 1997 को पंजीयक को एक आवेदन दिया गया था कि वह उसमें उल्लिखित न्यास संपत्ति को बेचने के लिए धारा 14 की उप-धारा (1) के तहत अनुमति दे, जिसे 2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 19063 से उत्पन्न सिविल अपील में अपीलार्थी को बेच दिया गया था। 16 अक्टूबर 1997 के आदेश द्वारा, पंजीयक द्वारा न्यासियों को अलग करने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते कि -

कई शर्तें। एक महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि संपत्ति

धारा 14 का पालन किए बिना। 41. न्यासियों ने 08 मार्च 1972 के पूरक न्यास विलेख पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया कि उन्हें अलग करने का अधिकार है

सार्वजनिक न्यास की धारा 14 का सहारा लिए बिना संपत्ति पर भरोसा करें।

एक्ट करें। इस दस्तावेज़ को उच्च न्यायालय की कार्यवाही में चुनौती नहीं दी गई थी। लेकिन, इसकी वैधता के मुद्दे पर उच्च न्यायालय ने विचार किया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, खसगी ट्रस्ट का निर्माण वाचा के अनुच्छेद XII के खंड (3) के तहत किए गए निर्णय के आधार पर किया गया है। खसगी की संपत्तियाँ [2022] 17 एस. सी. आर. द्वारा राज्य सरकार में निहित हैं।

उक्त निर्णय का गुण। हालाँकि, खसगी की संपत्तियाँ थीं इसकी स्थापना पर खसगी ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिया गया। इसलिए, हम पहले ही मान चुके हैं कि खासगी की संपत्तियां खासगी ट्रस्ट में निहित हैं जो सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक ट्रस्ट है। सार्वजनिक न्यास अधिनियम स्वयं एक सार्वजनिक न्यास के न्यासियों को धारा 14 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन न्यास संपत्ति को अलग करने की अनुमति देता है। इसलिए,

पूरक न्यास विलेख जो न्यासियों को अलग करने में सक्षम बनाता है न्यास संपत्ति अवैध नहीं हो सकती है। हालांकि, न्यास की संपत्ति का हस्तांतरण केवल धारा 14 के अनुसार किया जा सकता है। न्यासियों द्वारा

42. सार्वजनिक न्यास अधिनियम की धारा 14 पर चर्चा करने से पहले, भले ही हम यह मान लें कि धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत छूट खासी न्यास पर लागू थी, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि न्यासियों ने लाभार्थियों के लाभ के लिए एक न्यासी क्षमता में संपत्ति धारण की थी, जो वर्तमान मामले में जनता के सदस्य हैं क्योंकि न्यास की संपत्तियों में बड़ी संख्या में मंदिर, घाट आदि शामिल हैं। खासगी ट्रस्ट की संपत्ति इसके बिना बेची नहीं जा सकती थी एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करना। अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस बनाम के मामले से सार्वजनिक संपत्ति के अलगाव के संबंध में इस न्यायालय द्वारा लगातार लिया गया दृष्टिकोण। मध्य राज्य

प्रदेश और Ors.², सार्वजनिक न्यास की संपत्ति के हस्तांतरण पर काफी हद तक लागू होंगे और इसलिए न्यासी न्यास की संपत्ति का निपटान केवल न्यास या उसके लाभार्थियों के लाभ के लिए करने के लिए बाध्य हैं, न कि एक निजी उद्यम के रूप में। यह केवल एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करके ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि न्यास की संपत्ति को सर्वोत्तम संभव मूल्य मिले। यदि इस तरह से अलगाव किया जाता है, तो ही यह लाभार्थियों के हित में होगा।

43. जैसा कि हमने अभिनिर्धारित किया है कि सार्वजनिक न्यास अधिनियम के प्रावधान खसगी न्यास पर लागू होंगे, अब हम धारा 14 के प्रावधानों का उल्लेख कर रहे हैं। धारा 14 बिक्री, बंधक या उपहार पर प्रतिबंध लगाती है।

सार्वजनिक न्यास की किसी अचल संपत्ति के साथ-साथ कृषि भूमि के मामले में सात वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टा, या गैर-कृषि भूमि या भवन के मामले में तीन वर्ष से अधिक की अवधि।

22011 (5) एस. सी. सी. 29 द खास्गी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट, इंदौर बनाम। वी. आई. पी. आई. एन. धनितकर [अभय एस. ओका, जे.]

इस तरह के लेन-देन पंजीयक की पूर्व मंजूरी के बिना मान्य नहीं होंगे। उप-धारा (2) उप-धारा (1) के अंतर्गत आने वाले लेन-देनों के संबंध में मंजूरी से इनकार करने की पंजीयक की शक्ति को सीमित करती है। पंजीयक मंजूरी देने से केवल तभी इनकार कर सकता है जब वह संतुष्ट हो कि

लेन-देन सार्वजनिक न्यास के हितों के लिए प्रतिकूल होगा।

44. पारसी पारसी अंजुमन के मामले में, महू 1, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के पास इसके दायरे से निपटने का अवसर थाः

धारा 14. समन्वय पीठ ने धारा 14 की तुलना महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1950 के तहत धारा 36 के समान प्रावधान के साथ की, जिसमें महाराष्ट्र के सार्वजनिक न्यास के न्यासियों की शक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

न्यास की संपत्ति को अलग करना। उक्त निर्णय का अनुच्छेद 22 इस प्रकार हैः

" 22. जैसा कि धारा 14 (1) में देखा जा सकता है, सार्वजनिक न्यास पंजीयक की पूर्व मंजूरी एक पूर्व शर्त है, (ए) "किसी भी अचल संपत्ति की बिक्री, बंधक, उपहार का आदान-प्रदान" या (बी) "सात साल से अधिक की अवधि के लिए पट्टा" के लिए। कृषि भूमि या गैर-कृषि भूमि या भवन के मामले में तीन साल से अधिक की अवधि के लिए। यदि धारा 14 (1)

वहाँ रुक गया था, प्रकारों के अलगाव पर प्रतिबंध

प्रावधान (बिक्री, उपहार, विनिमय, बंधक आदि) में उल्लिखित,

या कृषि या गैर-कृषि संपत्तियों के दीर्घकालिक पट्टा (ओं) अर्थात पूर्व मंजूरी प्राप्त करने का मतलब यह हो सकता था कि

पंजीयक की भूमिका संभावित रूप से दखल देने वाली थी। हालांकि,

धारा 14 (1) के प्रावधान और इसके तहत पंजीयक को प्रदत्त शक्ति, धारा 14 (2) द्वारा नियंत्रित होती है जिसमें कहा गया है कि पंजीयक "अपनी मंजूरी से इनकार नहीं करेगा"।

जब तक कि उनकी राय में अलगाव, या स्थानांतरण प्रतिकूल नहीं है

सार्वजनिक न्यास के हितों के लिए। में स्पष्ट संदर्भ

14 (1) . धारा 14 (1) में नियंत्रण अभिव्यक्ति उल्लेखनीय रूप से, क्या दोनों के संबंध में पूर्व मंजूरी है

परिस्थितियाँ (अर्थात, खंड (क) और (ख) में उल्लिखित) "न्यास के लिखत में दिए गए निर्देशों या किसी भी न्यायालय द्वारा इस या किसी अन्य कानून के तहत दिए गए किसी भी निर्देश के अधीन हैं।" यह नियंत्रण या, बल्कि प्रारंभिक शब्द, स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि पंजीयक द्वारा मंजूरी का अनुदान या

इनकार इस पर आधारित होना चाहिए -
या तो "न्यास के साधन में निर्देश", या "इसके तहत दिया गया कोई भी निर्देश (यानी, एम. पी. सार्वजनिक न्यास अधिनियम) या कोई भी [2022] 17 एस. सी. आर.

इसलिए, पंजीयक को इसे पढ़ने का अधिकार नहीं है। क्या फायदेमंद है और क्या प्रतिकूल है, इस बारे में उनकी अपनी धारणाएँ

ट्रस्ट के लिए। इनकार विशिष्ट होना चाहिए

कानून की आवश्यकता, जहां ऐसी कानून स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है

तो, या न्यास दस्तावेज़ का कोई विशिष्ट प्रावधान।

(जोर दिया गया)

यह न्यायालय न्यासियों को न्यास को अलग करने की अनुमति देने के लिए आगे बढ़ा

संपत्ति, संपत्ति के नए मूल्यांकन के अधीन और सार्वजनिक निविदा के माध्यम से सबसे अधिक बोली लगाने वाले को संपत्ति बेचने के अधीन।

45. धारा 14 सार्वजनिक अचल संपत्ति पर लागू होती है।

भरोसा रखिए। धारा 13 सार्वजनिक न्यास धन के निवेश को नियंत्रित करती है। किसी न किसी रूप में दान और धार्मिक दान पर राज्य का नियंत्रण हमारे न्यायशास्त्र के लिए विदेशी नहीं है। एक सार्वजनिक न्यास हमेशा अचल संपत्ति दान करके या नकद दान करके व्यक्तियों द्वारा किए गए दान पर निर्भर करता है। हालांकि कानून में, एक सार्वजनिक न्यास की संपत्ति और संपत्तियां उसके न्यासियों में निहित होती हैं, वे न्यास के लाभार्थियों के लाभ के लिए न्यास की संपत्ति को प्रत्ययी क्षमता में रखते हैं। वे सार्वजनिक न्यास के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए संपत्ति रखते हैं। न्यास की संपत्ति को तब तक अलग नहीं किया जा सकता जब तक कि यह न्यास और/के लाभ के लिए न हो। या उसके लाभार्थी। न्यासियों से न्यास की संपत्ति के साथ सौदा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, जैसे कि यह उनकी निजी संपत्ति हो। न्यास का प्रशासन करना और न्यास के उद्देश्यों को प्रभावी बनाना न्यासियों का कानूनी दायित्व है। इसलिए, विभिन्न राज्यों में काम कर रहे सार्वजनिक न्यासों से संबंधित कानून, सार्वजनिक न्यास की गतिविधियों पर सीमित नियंत्रण प्रदान करते हैं। नियंत्रण का प्रयोग न्यासियों द्वारा वार्षिक खातों को जमा करने और संबंधित दान संगठन या कानून के तहत अन्य प्राधिकरण के साथ विवरणी दाखिल करने के लिए किया जाता है। सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास की संपत्ति को अलग करने की न्यासियों की शक्ति पर वैधानिक बाधाएं हैं। न्यास की संपत्ति के दुरुपयोग के लिए न्यासियों को दंडित करने के लिए ऐसे कानूनों में प्रावधान हैं। ऐसे कई क़ानून क़ानूनों के तहत अधिकारियों को दुर्व्यवहार या गबन के कृत्यों आदि के कारण सार्वजनिक न्यास के न्यासी को हटाने का अधिकार देते हैं। न्यासी न्यास की संपत्तियों के संरक्षक होते हैं। न्यासियों का कर्तव्य है कि वे सार्वजनिक न्यास के लाभार्थियों के हितों की रक्षा करें।

इस प्रकार, पब्लिक ट्रस्ट द खासी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट, इंदौर बनाम में एक प्रावधान है। वी. आई. पी. आई. एन. धनितकर [अभय एस. ओका, जे.]

सार्वजनिक न्यास अधिनियम की धारा 14 की तरह कानून का भी महत्व है। यह प्रावधान न्यासियों के हाथों में न्यास की संपत्ति को अनुचित अलगाव से बचाने का प्रयास करता है। वर्तमान मामले में, 2021 की विशेष अनुमति याचिका 19063 से उत्पन्न सिविल अपील में अपीलार्थी के पक्ष में बिक्री के लेन-देन को बिना प्राप्त किए स्वीकार किया गया है।

धारा 14 के तहत पूर्व अनुमति। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस सवाल पर गौर किया है कि क्या अलगाव अमान्य थे।

हालाँकि, खरीदार उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे। इसलिए, आवश्यक पक्षों की अनुपस्थिति में खासगी न्यास के न्यासियों द्वारा किए गए अलगाव को रद्द करने के मुद्दे पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता था। हालांकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पंजीयक की पूर्व मंजूरी के बिना अलगाव नहीं किया जा सकता था।

पब्लिक के तहत रजिस्टर करने की शक्तियाँ

ट्रस्ट्स एक्ट।

46. सार्वजनिक न्यास अधिनियम के अध्याय V के तहत, शक्तियाँ हैं

लोक न्यास के नियंत्रक में निहित। धारा 17,22 और 23 सामग्री हैं, जो इस प्रकार हैं:

" 17. तुलनपत्र तैयार करना और अनियमितताओं आदि की रिपोर्ट करना लेखा परीक्षक का कर्तव्य है-(1) धारा 16 के तहत सार्वजनिक न्यास के खातों की लेखा परीक्षा करने वाले प्रत्येक लेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह तुलनपत्र और आय और व्यय खाता तैयार करे और -

उसी की एक प्रति उस पंजीयक को भेजें जिसके भीतर

अधिकार क्षेत्र में एक सार्वजनिक न्यास पंजीकृत किया गया है।

(2) लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट में अनियमितताओं, अवैध या अनुचित व्यय या वसूली में विफलता या चूक के सभी मामलों को निर्दिष्ट करेगा।

सार्वजनिक न्यास से संबंधित धन या अन्य संपत्ति या धन की बर्बादी या उसकी अन्य संपत्ति और बताएँ कि क्या ऐसा है

22. पंजीयक की शक्ति। - पंजीयक के पास होगा शक्तियाँ,

(क) प्रवेश करना और निरीक्षण करना या प्रवेश कराना और निरीक्षण करना।

सार्वजनिक न्यास से संबंधित कोई भी संपत्ति;

(ख) [2022] 17 एस. सी. आर. में किसी भी सार्वजनिक न्यास या किसी पुस्तक या खाते के न्यासियों की किसी भी कार्यवाही से किसी भी उद्धरण की मांग या निरीक्षण करना।

न्यासियों के कब्जे में या उनके नियंत्रण में;

(ग) न्यासियों या संबंधित किसी भी व्यक्ति से कोई विवरणी, विवरण, लेखा या रिपोर्ट मांगना जो वह उचित समझे। एक सार्वजनिक न्यास के साथः

बशर्ते कि किसी भी संपत्ति पर प्रवेश करने में

न्यासी को नोटिस देना और धार्मिक का उचित सम्मान करना। न्यास की प्रथाएँ या उपयोग।

23. पंजीयक द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद की प्रक्रिया। – (1) अगर

धारा 17 के तहत की गई लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, पंजीयक की राय में, के प्रशासन में भौतिक दोषों को दर्शाती है

लोक न्यास, पंजीयक कार्यशील न्यासी से उस अवधि के भीतर उस पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जो वह उचित समझे।

(2) यदि लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करने पर, कार्यकारी न्यासी द्वारा प्रस्तुत किए गए खाते और स्पष्टीकरण, यदि कोई हों,

पंजीयक, निर्धारित तरीके से जांच करने और संबंधित व्यक्ति को अवसर देने के बाद, संतुष्ट होता है कि न्यासी या कोई अन्य व्यक्ति घोर लापरवाही, विश्वासघात, दुरुपयोग या कदाचार का दोषी रहा है जिसके परिणामस्वरूप जनता को नुकसान हुआ है। (क) सार्वजनिक न्यास को हुए नुकसान की राशि;

(ख) क्या ऐसा नुकसान किसी व्यक्ति के विश्वासघात, दुरुपयोग या कदाचार के कारण हुआ था;

उप-धारा (2) के खंड (घ) के अनुसार, धारा 24 के तहत न्यायालय के किसी भी आदेश के लिए, न्यासी या अधिभारित व्यक्ति द्वारा ऐसे समय के भीतर भुगतान किया जाए जब -

पंजीयक ठीक कर सकते हैं। "

(जोर दिया गया)

खस्गी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट, इंदौर बनाम। वी. आई. पी. आई. एन. धनितकर [अभय एस. ओका, जे.]

पंजीयक जनता की धारा 22 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके

न्यास अधिनियम, न्यासियों से अभिलेख और रिपोर्ट मांग सकता है। यदि धारा 17 के अनुसार प्रस्तुत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, लोक न्यास के प्रशासन में भौतिक दोष दिखाती है, तो पंजीयक

न्यासियों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए हमेशा बुला सकते हैं। धारा 23 की उप धारा (2) के तहत, पंजीयक के पास, निर्धारित तरीके से जांच करने के बाद, यह तय करने की शक्ति है कि क्या न्यासी दोषी रहे हैं। ऐसा कोई आचरण जिसके परिणामस्वरूप लोक न्यास को कोई हानि हुई हो। उसे सार्वजनिक न्यास को हुए नुकसान की राशि निर्धारित करने का अधिकार है।

और यह भी तय करना कि कोई भी न्यासी या कोई अन्य व्यक्ति, इस तरह के नुकसान की भरपाई के लिए सार्वजनिक न्यास को कितनी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। धारा 24 में धारा 23 के तहत दिए गए आदेश के खिलाफ अदालत में अपील करने का प्रावधान है। सार्वजनिक न्यास अधिनियम की धारा 31 में प्रावधान है कि धारा 23 और 24 के अनुसार निर्धारित राशि भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य है। किसी मामले में, पंजीयक न्यासियों से न्यास की संपत्ति के अवैध हस्तांतरण के कारण न्यास को हुए नुकसान के बराबर राशि की वसूली का निर्देश दे सकता है।

न्यासी।

47. जब किसी न्यास की संपत्ति का हस्तांतरण धारा 14 के तहत पंजीयक की पूर्व मंजूरी के बिना और/या किसी निष्पक्ष और उचित आदेश का पालन किए बिना किया जाता है।

पारदर्शी प्रक्रिया, यह हमेशा कहा जा सकता है कि न्यास की संपत्ति का उचित प्रबंधन या प्रशासन नहीं किया जा रहा है। ऐसे मामले में, धारा 23 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के अलावा, पंजीयक एक

न्यास के कुप्रबंधन की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने के लिए धारा 26 की उप-धारा (1) के तहत आवेदन। धारा 26 और 27 इस संबंध में सामग्री हैं, जो इस प्रकार हैंः -

(क) सार्वजनिक न्यास का मूल उद्देश्य विफल हो गया हैः
(ख) न्यास की संपत्ति का उचित प्रबंधन नहीं किया जा रहा है या

प्रशासित; या

(ग) न्यायालय का निर्देश आवश्यक है

सार्वजनिक न्यास का प्रशासन;

वह कार्यवाहक न्यासी को सुनवाई का अवसर देने के बाद ऐसे न्यासी को पंजीयक द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर निर्देश के लिए न्यायालय में आवेदन करने का निर्देश दे सकता है।

किसी अन्य कारण से, पंजीयक इसे समीचीन समझता है - ऐसा करने पर, वह स्वयं न्यायालय में एक आवेदन करेगा।

न्यायालय आवेदन करेगा या ऐसी जांच कराएगा। उस मामले में जो वह उचित समझता है और उस पर ऐसे आदेश पारित करता है जैसे वह

उचित समझा जा सकता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए

न्यायालय के पास, अन्य शक्तियों के साथ, एक बनाने की शक्ति होगी के लिए आदेशः

उसमें ब्याज किसी विशेष उद्देश्य के लिए आवंटित किया जाएगा। विश्वास की बात;

(घ) न्यास संपत्ति के प्रबंधन की एक योजना प्रदान करना;

(ई) यह निर्देश देना कि किस प्रकार एक सार्वजनिक न्यास की निधि जिसका मूल

उद्देश्य विफल हो गया है, खर्च किया जाएगा, उचित ध्यान रखते हुए न्यास के लेखक का मूल इरादा या उद्देश्य

जिसे न्यास बनाया गया था; (च) मामले की प्रकृति के अनुसार कोई भी निर्देश जारी करना

आवश्यकता है।

(3) उप-धारा (2) के तहत अदालत द्वारा पारित कोई भी आदेश होगा - ऐसे न्यायालय की डिक्री मानी जाएगी और एक अपील होगी

वहाँ से उच्च न्यायालय तक।

(4) संहिता की धारा 92 के तहत सार्वजनिक न्यास से संबंधित कोई मुकदमा नहीं

सिविल प्रक्रिया, 1908 (1908 का 5) के किसी भी उपबंध पर विचार किया जाएगा।

किसी भी मामले पर अदालत जिसके संबंध में एक आवेदन किया जा सकता है

धारा 26 "के तहत बनाया गया।

(जोर दिया गया)

धारा 26 की उप-धारा (2) के तहत, पंजीयक स्वयं कर सकता है।

न्यायालय में एक आवेदन जिसके तहत शक्तियों के प्रयोग की मांग की गई है

27 पर। इस तरह के आवेदन पर और आयोजित करने के बादन्यायालय के पास न्यास या खासी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) न्यास के न्यासियों को हटाने की शक्ति है, इंदौर बनाम।

धारा 27 में दिए गए निर्देशों को जारी करना।

48. वर्तमान मामले में न्यासियों द्वारा किए गए सभी अलगाव

2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) No.19063 से उत्पन्न सिविल अपील में अपीलार्थी के पक्ष में किए गए अलगाव को छोड़कर, धारा की उप-धारा (1) द्वारा आवश्यक पूर्व मंजूरी प्राप्त करने की अनिवार्य आवश्यकता का पालन किए बिना, खासगी ट्रस्ट का

14 .

49. हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि द्वारा किए गए कथित अलगाव की वैधता को विशेष रूप से चुनौती देने के लिए कोई कार्यवाही दायर नहीं की गई है। न्यासी। डिवीजन बेंच का विवादित फैसला इस प्रकार आता है -

तीन कार्यवाहियाँ। तीन में से दो न्यासियों द्वारा दायर रिट याचिकाएं हैं। पहला कलेक्टर के विवादित आदेश को चुनौती देने के लिए दायर किया गया था और दूसरा ट्रस्ट की संपत्तियों के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में न्यासियों के नाम दर्ज करने के संबंध में निर्देश देने के लिए दायर किया गया था। तीसरी कार्यवाही जनहित याचिका है, जिसमें सीबीआई के माध्यम से जांच का निर्देश देने के लिए अनिवार्य रिट जारी करने का अनुरोध किया गया है। इसलिए, डिवीजन बेंच के लिए यह घोषणा करने का कोई अवसर नहीं था कि बिक्री लेनदेन अमान्य हैं, विशेष रूप से जब खरीदार उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं थे। फिर भी, यह पंजीयक के लिए आवश्यक है धारा 22 के तहत शक्तियों का प्रयोग करना और न्यासियों द्वारा किए गए अलगाव से संबंधित आवश्यक रिकॉर्ड की मांग करना। इसके बाद, पंजीयक धारा 23 के तहत शक्तियों का प्रयोग करेगा और यह तय करेगा कि क्या

अलगाव के परिणामस्वरूप सार्वजनिक न्यास को कोई नुकसान हुआ था और यदि कोई नुकसान हुआ पाया जाता है, तो वह धारा 23 की उप-धारा (2) के अनुसार राशि की मात्रा निर्धारित करेगा। यदि पाया जाए तो वह धारा 26 की उप-धारा (1) या (2) को लागू करने पर भी विचार कर सकता है जैसा कि ऊपर देखा गया है। आवश्यक है।

संग्राहक के आदेश की वैधता

(प्रश्न-ई)

50. हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि कलेक्टर का आदेश जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित किया गया था, खसगी ट्रस्ट के न्यासियों और खरीदारों को सुनने का अवसर दिए बिना पारित किया गया था। संसद सदस्य की शिकायत के आधार पर पंजीयक द्वारा न्यासियों को कारणदर्शक नोटिस जारी किया गया था। हालांकि न्यासियों ने नोटिस का जवाब दिया, लेकिन जवाब पर भी कलेक्टर ने विचार नहीं किया। केवल इसी आधार पर उक्त आदेश को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। वास्तव में, कलेक्टर के पास स्वामित्व के मुद्दों के साथ-साथ सार्वजनिक न्यास के मामलों के कुप्रबंधन पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

यही कारण है कि आयुक्त की 24 मई 2012 की रिपोर्ट और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की 2 मई की रिपोर्ट भी। नवंबर 2012 बिना अधिकार क्षेत्र के हैं। न्यासियों को सुने जाने का अवसर दिए बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए रिपोर्टें दी गई हैं।

आर्थिक अपराधों के माध्यम से (प्रश्न) च)

51. राज्य सरकार की आर्थिक अपराध शाखा के माध्यम से जांच का निर्देश देने का कोई वारंट नहीं था क्योंकि ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि न्यासियों की ओर से पुरुष अधिकार था। उच्च न्यायालय द्वारा इस सामग्री के आधार पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है कि न्यासियों द्वारा किए गए अलगाव के परिणामस्वरूप न्यास को नुकसान हुआ है और पूरे बिक्री विचार को व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोड़ दिया गया है। हमारे सामने रखे गए अभिलेख से यह देखा गया है कि संपूर्ण प्रतिफल

न्यासियों के खिलाफ दर्ज किया गया। इसलिए, आर्थिक अपराध शाखा को इस कार्यवाही के विषय के संबंध में जांच या जांच करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, उस संबंध में विवादित निर्णय के माध्यम से उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश को गैर-कानूनी माना जाना चाहिए। यद्यपि उक्त निर्देश अनुचित है, जैसा कि पहले देखा गया है, पंजीयक को आवश्यक पहल करनी होगी। लोक न्यास अधिनियम के तहत कार्यवाही और उन्हें एक तार्किक निष्कर्ष पर ले जाना।

लिखित याचिकाओं की अनिवार्यता (प्रश्न)

जी)

52. एक तर्क उठाया गया था कि केवल एक ट्रस्टी ने विवादित को चुनौती देने के लिए लर्नड सिंगल जज के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की थीं।

कलेक्टर का आदेश और अन्य राहत की मांग। तर्क यह है कि उन्हें अन्य न्यासियों द्वारा रिट याचिकाओं की कार्यवाही दायर करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। कलेक्टर के विवादित आदेश का उद्देश्य ट्रस्ट की संपत्तियों के स्वामित्व के मुद्दे पर निर्णय लेना है, जिसमें कहा गया है कि

न्यास विलेख की अनुसूची का भाग 'बी' राज्य सरकार में निहित है।

यह मानते हुए भी कि खस्गी (देवी अहिल्याबाई होल्कर अधिकार) ट्रस्ट को कोई स्पष्ट अधिकार नहीं दिया गया था, इंदौर बनाम। वी. आई. पी. आई. एन. धनितकर [अभय एस. ओका, जे.]

रिट याचिका दायर करने के लिए न्यासी मंडल के प्रस्ताव के रूप में रिट याचिकाकर्ता के लिए, यहां तक कि एक व्यक्तिगत न्यासी भी ऐसे आदेशों पर सवाल उठाने के लिए कार्यवाही करने का हकदार था, जो न्यास और/या उसके लाभार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसके विपरीत, यह प्रत्येक न्यासी का कर्तव्य है कि वह इस आदेश को चुनौती देने की ऐसी कार्रवाई करे कि न्यास द्वारा धारण की गई संपत्तियां न्यास की संपत्तियां नहीं हैं। इसके अलावा, कोई भी न्यासी न्यासी श्री के अधिकार को चुनौती देने के लिए आगे नहीं आया है एस. सी. मल्होत्रा जिन्होंने रिट याचिकाएं दायर की थीं और आगे की कार्यवाही की थी। न्यासियों द्वारा न्यास की संपत्ति के गबन की जांच करने के लिए आर्थिक अपराध शाखा को भी निर्देश जारी किया गया था। प्रत्येक न्यासी उक्त निर्देश से प्रभावित था। इसलिए, मामले के तथ्यों में, न्यासियों में से किसी एक द्वारा दायर याचिका की स्थिरता पर उठाई गई आपत्ति को कायम नहीं रखा जा सकता है।

समापन भाग

53. ऊपर की गई चर्चाओं को देखते हुए, विवादित निर्णय

डिवीजन बेंच को पूरी तरह से कायम नहीं रखा जा सकता है। हालांकि, डिवीजन बेंच द्वारा लिया गया यह विचार कि खसगी ट्रस्ट सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम द्वारा शासित है और ट्रस्ट की संपत्तियों का कोई भी हस्तांतरण उसकी धारा 14 का पालन किए बिना नहीं किया जा सकता है, की पुष्टि करनी होगी। यहां तक कि विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को भी कायम नहीं रखा जा सकता है क्योंकि उन्होंने वस्तुतः न्यास विलेख के पुनर्लेखन का निर्देश दिया है। 54. सिविल अपील्स में दायर 2020 के I.A.No.124266 में आवेदक के स्थान के बारे में बार में प्रस्तुतियाँ दी गई हैं।

विशेष अनुमति याचिका (सी) सं। 12241-42 2020 से। हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम अंततः उक्त प्रश्न में जाएं। हम उक्त प्रश्न को उचित कार्यवाही में निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ते हैं।

55. जहाँ तक 2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) No.19063 से उत्पन्न दीवानी अपील का संबंध है, न्यासियों द्वारा 16 अक्टूबर 1997 के आदेश द्वारा पंजीयक की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के बाद अपीलार्थी के पक्ष में अलगाव किया गया था। इसलिए, पंजीयक को इस सवाल तक सीमित जांच करनी होगी कि क्या न्यासियों द्वारा उक्त आदेश के तहत शामिल शर्तों का पालन किया गया है। यदि अनुपालन नहीं होता है, तो पंजीयक को आवश्यक कदम उठाने के लिए सार्वजनिक न्यास अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना होगा।

कार्रवाई।

56. इसलिए, अपीलों को आंशिक रूप से सफल होना चाहिए और हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं:

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

हमारा मानना है कि खासगी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटी) ट्रस्ट, इंदौर, मध्य प्रदेश सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 के प्रावधानों द्वारा शासित एक सार्वजनिक ट्रस्ट है।

इसलिए हम न्यासियों को निर्देश देते हैं कि वे खस्गी न्यास को सार्वजनिक न्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत कराएं।

एक महीने की अवधि के भीतर आवश्यक आवेदन आज;

हम मानते हैं कि भाग 'बी' में वर्णित गुण

हम मानते हैं कि पूरक न्यास विलेख दिनांक 08 तारीख मार्च 1972 वैध है। लेकिन, खसगी न्यास के न्यासी लोक न्यास अधिनियम की धारा 14 का पालन करने के बाद ही न्यास संपत्ति को अलग करने के हकदार होंगे।

हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश

राज्य सरकार की आर्थिक अपराध शाखा को जांच करने की आवश्यकता नहीं थी।

हम सार्वजनिक न्यास अधिनियम के तहत पंजीयक को निर्देश देते हैं, जिनके पास खासगी न्यास पर अधिकार क्षेत्र है, कि वे न्यास का अभिलेख मंगायें।

उपरोक्त जांच करने के बाद, यदि आवश्यक पाया जाए, वह धारा 26 की उप-धारा (2) के तहत न्यायालय में आवेदन करने की शक्ति का उपयोग कर सकता है। पंजीयक ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकता है और ऐसी अन्य पहल कर सकता है।

ऐसी कार्यवाहियाँ जो कानून द्वारा समर्थनीय हों;

हालाँकि, श्री के पक्ष में किए गए अलगाव के संबंध में

गजानन महाराज संस्थान-सिविल अपील ए. एस. जी. आई. (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट में अपीलार्थी, ओ. आर. ई. वी.

वी. आई. पी. आई. एन. धनितकर [अभय एस. ओका, जे.]

2021 की विशेष अनुमति याचिका No.19063 से उत्पन्न

अभिलेख के लिए बुलाने के बाद, पंजीयक इस मुद्दे तक सीमित पूछताछ करेगा कि क्या 16 अक्टूबर 1997 के आदेश में शामिल शर्तों का पालन करने के बाद अलगाव किया गया था। यदि उसे पूछताछ करने के बाद पता चलता है; कि किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं किया गया था, वह लोक न्यास अधिनियम के अनुसार उचित कार्यवाही शुरू करेगा;

उपरोक्त निर्देशों के अधीन, खंड पीठ के विवादित निर्णय के साथ-साथ विवादित निर्णय

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के 28 नवंबर 2013 के आदेशों को रद्द कर दिया गया है।

उपरोक्त शर्तों में दीवानी अपीलों की आंशिक रूप से अनुमति है।

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई

अमरेंद्र कुमार

इराम जान, एलसीआरए)